

## BUSINESS OF THE HOUSE

**The Deputy Minister of Defence (Shri Raghuramlah):** On behalf of Shri Satya Narayan Sinha I rise to announce that Government business in this House during the week commencing 3rd April, 1961 will consist of discussion and voting of the Demands for Grants in respect of the Ministries of—

External Affairs,  
Labour and Employment,  
Rehabilitation,  
Transport and Communications,  
and Commerce and Industry.

12.23 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS\*—contd.  
MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER—  
contd.

**Mr. Speaker:** The House will now proceed with the further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Irrigation and Power. Shri Hathi may kindly continue his speech.

**Shrimati Renu Chakravartty (Basirhat):** May I know how much time is left over for these Demands?

**Mr. Speaker:** There are 6 hours allotted for this Ministry. 2 hours and 45 minutes have been taken, and 3 hours and 15 minutes now remain. We are starting this at 12.25 P.M. let us assume we start at 12.30 P.M., that means that this debate will go on till about 3.45 P.M. I shall conclude this debate by 4 P.M.

**Shri Mohammed Imam (Chitaldrug):** Much as I have respect for the Ministers' speeches, I submit that there must be a time-limit for their speeches. Much as we appreciate the speeches coming from the hon. Ministers, I submit that there must be a time-limit for the Ministers' speeches also, because they take away much of the time allotted.

**Shrimati Renu Chakravartty:** We want his reply also.

**Shri Ram Krishan Gupta (Mahendragarh):** The time may be extended.

**Mr. Speaker:** I may explain the position. It is not the Members of the Opposition that have to complain against the Ministers, but it is the Members of the Congress Party. What I do is this. I always take care to see that the time allotted for the Opposition, which is 40 per cent. of the time allotted for the whole debate, is not cut down. Whatever time an hon. Minister takes is only taken from the time allotted to the Members of his own party, and, therefore, no hon. Member from the opposition need have any complaint.

**The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Hathi):** I would not take more than about 30 minutes.

**Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur):** All the same, I would submit that if the hon. Ministers take so much time out of the time allotted for their party, then so many Members of the Congress Party are deprived from the opportunity to express their own views.

**Mr. Speaker:** They all belong to the Government party.

**An Hon. Member:** Sometimes, the Ministers take 2 hours.

**Mr. Speaker:** They cannot have the cake and eat it too. Every hon. Member from the Congress Party must feel that he is the Minister....

**Shri T. B. Vittal Rao (Khamnam):** In fact, they are like that.

**Mr. Speaker:** ...Therefore, whatever the hon. Minister says is on their behalf. I shall try to give all Members a chance but it is inevitable that the Minister should take some time, because not only this House but the whole country is looking for the statement made by the hon. Minister.

\*Moved with the recommendation of the President.

Otherwise, it will be an one-sided affair. The criticisms will have to be answered.

Now, there is one other matter. Today, we have got non-official business. It is to start at 4 P.M. But the hon. Minister of External Affairs would like to start the debate on the Demands relating to the Ministry of External Affairs today, so that we may conclude the debate on Monday; he has got other business elsewhere.

**An Hon. Member:** That is not possible. It cannot be done.

**Mr. Speaker:** Therefore, we shall start that debate at 3.45 P.M., that is, fifteen minutes in advance, and start non-official work at 4 P.M. and carry on till 6.30 P.M. Let that Ministry's debate be started today.

**Shrimati Renu Chakravartty:** Only for 15 minutes? Are we going to have only 15 minutes today to deal with such an important Ministry? We are prepared to start it, but the point is that it really is a very important debate and 15 minutes would not suffice. I could understand 2 hours, or even one hour being there. 15 minutes are useless.

**Shri Tyagi (Dehra Dun):** This would not appear good. It is not in keeping with the dignity of the House that we must accommodate a Minister only for 15 minutes. I do not think that is proper. You might not accede to his request.

**Shri T. B. Vittal Rao:** We can sit late on Monday and finish it.

**Shrimati Renu Chakravartty:** This debate can be finished by 6-30 P.M. What is the difficulty?

**Mr. Speaker:** The difficulty is this. 6 hours have been allotted for the Demands for Grants relating to the Ministry of External Affairs. The hon. Prime Minister wants to complete it on Monday. We have 6 hours allotted for this. If that time

is reduced, hon. Members will naturally say that it has been reduced. Therefore, instead of starting non-official business at 4 P.M. today, I shall call upon an Opposition Member to speak, or if the hon. Prime Minister wants to initiate the debate today, he may do so; and instead of starting non-official business at 4 P.M., we shall start it at 4.30 P.M. Once in a way, the hon. Prime Minister has made this request and he wants to complete it on Monday.

**Shri Tyagi:** That is true. But does the Prime Minister want to take these 15 minutes today, or will these 15 minutes be utilised by the Members today? If he himself wants to initiate the debate, that will be very good, so that Members will have points to discuss for the next day.

**Mr. Speaker:** Very well. We will start non-official business today a little later. Hon. Members will kindly sit for that work from 4-30 P.M. to 7 P.M.—2½ hours—as an exception. If the Prime Minister wants to make a speech, he will finish it by 4.30 P.M. Otherwise, the Opposition may start—45 minutes for the Opposition. Nobody need have any complaint that during the middle of his speech, the discussion was postponed.

**Shri Naushir Bharucha (East Khandesh):** The Opposition will start.

**Mr. Speaker:** We will make enquiries.

**Shri Hathi:** Day before yesterday when the House rose, I was dealing with the question of power development in the country. I mentioned that although we would be generating by the end of the Third Five Year Plan six times the power generated in 1951, the demand for power goes on increasing. It is a good sign that the demand goes on increasing, because the consumption of power means progress of the country. Thus, although from about 2.3 million kW. that we generated in 1951 we shall

[Shri Hathi]

be reaching a target of 13.43 million kW., it will be just sufficient to meet the increasing demand of the country so far as power is concerned. But we have to see that we strive to generate more power. The water resources of the country are abundant. Nearly 40 million kW. of power could be generated by the utilisation of these waters. Up to now, the power generated from these waters is 2.1 million kW. and at the end of the Third Five Year Plan, the hydro power generated will be 5.3 million kW.

12.32 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

No doubt, we have tapped some rivers for the purpose of generating power. The tiny Sharavati, only 80 miles in length but with a potential to generate about one million kW. is being harnessed. We shall be able to get about 7 lakh kW. of power from that tiny river. The awe-inspiring Narbada in Gujarat, capable of generating about 1½ million kW. or 2 million kW., is now being harnessed and after some time, we will be able to utilise the waters of this river also. We know the turbulent Sutlej has already been harnessed. The 9 sets of Bhakra generate about 6 lakh kW. of power. The Krishna, the Godavari and the Cauveri in the south are all rivers with potential for generating power. These are the large and mighty rivers of the country which have immense power potential. But these have yet to be tapped to get power in abundance.

But it is not only these big rivers that we think of harnessing. It will take time, but we have to make a start, and we have made a start, in order that definite projects can be prepared. We have decided to embark upon investigations of these rivers and we have selected 64 sites where such projects could be had which would generate ultimately about 12 million kW. The cost of

these investigations is estimated today at about Rs. 13 crores.

Apart from these rivers, there are small streamlets or streams on the hills which also would be able to yield power in the isolated hilly areas. To those places where even communication is difficult, it is not possible to carry huge machines and equipment and have big power houses. Moreover, the villages there are scattered and the load demand there is not so much. But in order that these hilly places may be served with electricity, we opened in 1959 a spot investigation division which works in Himachal Pradesh, Manipur, Tripura and Jammu and Kashmir, although the States of Punjab, Bihar and Uttar Pradesh are also carrying on investigation.

In the Third Plan period, we have thought of having nearly 100 such micro hydro-electric sets in all these regions. A start has been made in Himachal Pradesh. In the Punjab, two such sets have been installed. In regard to the Giri Ganga in Himachal Pradesh, there is a tiny village, Chhaila, where such a tiny set, which we call a baby set, has been installed. This does not require any barrage or dam, but two stones are put to divert the waters of the river, there is a small flume about 5 to 7 feet wide and a small room where about 25 kW. power is generated. We do not require any huge machinery for maintenance and operation. This can serve about 100 houses. There are flour mills there. I went there to that village to see the life of the people. There are radio sets also. All these are working. The economic part of it is that you do not need to carry steel posts. The posts are taken from the jungle and used indigenously.

In those particular experimental sets, we had not had an actual estimate of the cost because we had to have these sets from foreign countries. But we have started indigenous production for such small sets,

and though the cost of generation would be comparatively greater than that with hydro sets, ultimately so far as the cost of transmission, maintenance and operation is concerned, it will be comparatively cheap. We are going to have 100 such sets in the Third Five Year Plan, for which a provision of about Rs. 4 crores has been made.

Along with the generation of power, we have also to look to the availability of power in the various areas which have to be served. As one of the hon. Members said, the transmission lines are as important as the generation of power, because unless you spread or send the power to the various areas, it is no use generating power. In this behalf, we have made a good progress. As regards transmission lines, in the beginning of the First Plan, that is, 1951, we had only 19,000 miles of them. The addition during the First Plan was 19,000 miles. During the Second Plan, we added 40,000 miles. So at the beginning of the Third Plan, it is 78,000 miles. During the Third Plan, we want to add to it another 80,000 miles, bringing the total length of transmission lines to 1,58,000 miles.

This is one part where great care has to be taken and we have to see that these transmission lines also are so laid that they may be economical. With that end in view, we have also thought, as the House is aware, of the super grid. The advantages of the super grid are well-known, because if there is a huge power station in one area, it can transmit power to the other area; all the benefits of this huge power station can be available to the neighbouring area. When there is high load at one place and low load at another, this could with advantage be utilised with the minimum of cost and the maximum of benefit. Such a grid we have first thought of establishing in the southern zone. For the States of Mysore, Madras, Andhra Pradesh and Kerala there will be one grid which will connect them. In addition to that

we are also having the inter-State links. For instance, Madhya Pradesh and Rajasthan are inter-linked by the Chambal project; Rajasthan and Punjab by the Bhakra project; similarly Punjab and Himachal Pradesh; and the inter-State link through Hirakud, and D.V.C. So ultimately the idea is that we shall have one super grid. It will mean that at the minimum cost we shall be in a position to have the maximum benefit, and it will also be economical for the purposes.

In addition to these hydro-electric and thermal sets, we have other sources of fuel like lignite, oil, from the solar energy and wind-mills. The compact of generation from these sources is not yet significant, because we have other resources; but some experiments are being made.

Coming to the question of irrigation, the point was made about the utilisation of the resources of the irrigation potential in the country. In 1956 the irrigation potential created was about 65 million acres out of which 3.1 million acres were irrigated. That is, the utilisation was nearly 50 per cent. A point was made by Shri Ranga that as the irrigation potential goes on increasing, the area left unirrigated also goes on increasing, and he said that the more we spend a greater area goes on being unutilised. He quoted figures that at the end of the Second Plan the total potential created would be 14 million acres and that about 10 million acres will be utilised, and the gap would be 4 or 5 million acres. He said that in 1956 the gap was only 3 million acres. That is, out of 6.5 million acres of irrigation potential created, the area irrigated was 3 million acres, and so the gap between the potential created and the area irrigated was 3 million acres. And in 1961, he said that out of a potential created of 14 million acres about 9 or 10 million acres would be the area under irrigation; that is, 4 million acres will be left unirrigated.

I do not know what formula this is. If you look to the percentage, 3

[Shri Hathi]

million acres utilised out of 6 million acres potential created is 50 per cent. And 10 million acres out of 14 million acres is nearly 77 per cent. If you look to the percentage of the area covered by the irrigation facilities, it is increasing. Suppose the total potential created is 100 million acres and the area irrigated as 80 million acres then the gap will be 20 million acres. The difference of 20 million acres will be much more than the difference of 3 million acres (that is between 6 million and 3 million acres), though in terms of percentage the gap will be only 20 per cent. as against 50 per cent. So I do not know what formula it was. But certainly the percentage is definitely increasing and today the percentage is about 71 or 72 per cent.

**Shri Tangamani (Madurai):** What is the position in the southern States?

**Shri Hathi:** I am coming to that. Even if you take it State-wise I have got the figures. So far as Bihar is concerned it will rise from 72 per cent. to 79 per cent.; Jammu and Kashmir from 80 per cent. to 100 per cent.; Kerala from 66 per cent. to 96 per cent.; Madras from 70 per cent. to 100 per cent.; Mysore from 45 per cent. to 65 per cent.; Punjab from 47 per cent. to 82 per cent.; Rajasthan from 42 per cent. to 72 per cent.; and so forth. It is because of the various steps that the Irrigation and Power Ministry, the Planning Commission and the States concerned have taken that the utilisation has increased, and I would like to compliment the States that have taken the steps as a result of which the utilisation percentage has increased. The States really deserve to be complimented where good work has been done. There is no doubt about it that the people's co-operation is there. But the States have been taking active steps to see that the waters are being utilised.

Then a point was made about minor and medium irrigation. The Ministry has been giving attention to this in

consultation with the Planning Commission to see that more and more medium-size irrigation schemes are taken up, because there the results are quick and the benefits derived from these medium irrigation schemes are faster. There are advantages, no doubt, from the bigger dams: they ensure against famine, they can store more water, the repairs also are less. Anyway, the medium size irrigation schemes which cost less have been given importance, as will be seen from the figures. During the three Five Year Plans, schemes above Rs. 10 crores are 36; schemes between Rs. 5 crores and Rs. 10 crores are 28; scheme between Rs. 1 crore and Rs. 5 crores are 108; and schemes below Rs. 1 crore are 385. So we have taken steps to see that medium irrigation is given importance so that it can be scattered all over the country, and the needs of the different regions and localities can be met by such medium irrigation schemes.

Coming to the question of soil conservation which was also raised by Shri Muhammed Elias, this is really an important subject, because unless you have afforestation and measures are taken for soil conservation, the dams will be silted quickly, and therefore it is necessary that importance should be given to it. The Ministry has taken care to see to this and we have now opened a special Cell in the Central Water Power Commission which will look, after, in consultation with the Food and Agriculture Ministry, to the measures to be taken for afforestation and soil conservation.

Then comes the question of planning. It was remarked that there should be proper planning. Nobody can deny that. But, as you know, in the First Plan certain projects had already been taken up and they had to be completed. The projects were ready, some of them were yet to be taken up. But certain projects were taken up and we had to include them in the First Plan. But later on, as

the House knows, we thought of developing the rivers basin-wise, because some are inter-State rivers flowing through more than one State. Therefore, it was with that end in view that the River Board Act was passed, so that this Board can look into it basin-wise, prepare the various schemes, take measures for soil conservation, power generation, irrigation and advise the States on the schemes to be taken up or to be investigated and then prepare a master plan. We have now decided immediately to have such River Boards for seven river systems. These rivers are Krishna and Godavari, Sutlej-Beas-Ravi (one group) Mahanadi, Narmada, Yamuna, Cauveri and Tapti. We are having these seven Boards initially which will look to the question of Planning and investigation basin-wise and suggest to the States to take up schemes. We are in communication with the respective States concerned. The Boards will be established after the consultations are over with the States. This is an important step so far as the development of the river basins in various States is concerned.

Shri Muhammed Elias had also raised a point about strengthening of the Central Water and Power Commission. We agree with that suggestion. In fact, the Gokhale Committee which was appointed for the reorganisation of the C.W.P.C. has recommended it and we are adding one more member for power and one more for water because in the Third Plan there are a number of schemes coming up. They have to be examined and consultants have to go very often to various states and it becomes difficult for the two members to cope with the work. We ourselves had that in mind and the Gokhale Committee's recommendation has been accepted and we are now strengthening the Commission.

**Shri Muhammed Elias (Howrah):** From which region?

**Shri Nathi:** I will reply to all the points of the hon. Member hears me

patiently. So far as the selection of personnel is concerned, from the eastern, western, northern and southern zones, we will see that we get the topmost engineers provided the States can spare. For the information of the hon. Member, I can say that we have recently appointed Shri Das as the Managing Director of the Projects Construction Corporation which is in charge of the river valley projects construction. He was in the eastern zone; he was from West Bengal. Therefore, there is no limitation. We do not select persons from a particular zone but from the topmost engineers we could get. We have already appointed two. But, it would not be correct for me even to say that we shall appoint people on the regional basis. It will be on merits, from wherever we can find topmost engineers. I only mention for the information of the hon. Member that we have not neglected that part also. That is what I want to suggest.

Then, he said about the plan of the D.V.C. and that the objects of the D.V.C. have not been fulfilled. Let us see what Mr. Voorduin suggested so far as power generation is concerned. He suggested 150,000 kw. of thermal power and about 2 lakhs kw. of hydel power. The total generation suggested by him was about 3½ lakhs kws. As we go on increasing our industries, the development of our country goes on. If we had stuck to Mr. Voorduin's plan we would have stopped with the generation of 3½ lakhs kws. We cannot stick to a patricular plan; we have to go on changing. Accordingly, we had over-reached the limit. But today, I may say that that area generates 448,000 kws. of power as against the 3,50,000 suggested by him.

There are three power stations under construction, one at Durgapur and another at Chandrapur which will generate 506,000 kws. or 5 lakh kws. of power; and one more we are proposing in the Third Plan for 140,000 kws. Even conceding for argument's sake that that is not taken up, 506,000 plus 448,000 will be about 1 million kws. as

[Shri Hathi]

against 350,000 kws. suggested by Mr. Voorduin. So, it is not true to say that we are not following his suggestion. On the contrary, wherever we find it necessary, we have gone far ahead.

Then, the hon. Member mentioned about irrigation figures. He said that the report says that 7 lakh acres are being irrigated by the D.V.C. The area irrigated is of West Bengal. How is that the D.V.C. can say that it irrigates 7 lakh acres? If that is the question, it may be difficult for me to reply for any State because it is not the Government of India that goes to every field and irrigates the field. Statistics and data have to be collected by the State Governments from the States and they say that so much area is irrigated. I think we have to take them at their word.

But, I may add that when the question of utilisation came up, we sent two engineers who went round the country to check up. Of course, it was not a complete one; it was only a specimen or sample check. They looked round the country and the suggestions they had to make were sent as recommendations to the concerned State Governments. The reply to that question is that the D.V.C. does not directly irrigate but water is given to the Bengal Government. So, the data received from that Government should be taken as correct. There is no other way; we cannot send our engineers to every field and check up.

Then, he mentioned about navigation. I do not think I can reply his question because he doubts whether it will be possible in 1962 or not. He has to wait till 1962 to see whether what is written there is achieved or not. It is difficult to resolve such kinds of doubts. What we have said is that navigation will be possible in 1962. I think, looking to the other things in which we have progressed, for example, the power position, where we have gone far ahead of Mr. Voorduin's recommendation, it will leave no doubt

that whatever is stated will be achieved.

Then comes the question of floods and D.V.C. The floods of 1959 were of the order of 8,50,000 cusecs. The present dams have capacity of 6 lakh cusecs for flood control. Let us imagine what would have been the position if these dams had not been there. The whole area would have been flooded by 850,000 cusecs of the flood; but we have checked to the extent of 6,00,000 cusecs. Only 250,000 cusecs was not checked. So far as the Third Plan is concerned, we are considering the question of a third dam also. The matter is being discussed with the West Bengal Government.

Then, the hon. Member mentioned about the machinery for irrigation and power being manufactured in the country. He quoted some pamphlet which was written by the Chairman of the Central Water and Power Commission. There also I agree with him, in agreeing with what the Chairman of the Commission said. That is, the country does require heavy electrical machinery and equipment to be manufactured in the country so that we may not have to depend upon foreign countries for these things. But it is not that a particular factory which can manufacture this sort of machinery. We have one in Bhopal, the Heavy Electricals and we are thinking of having two more which will also manufacture heavy electrical equipment in the country. That would mean that when we manufacture this machinery and equipment in the country we will have to depend less and less on foreign countries.

But there comes the question of training our people. Up to now, in the bigger projects, the Hirakud, the Damodar, the Bhakra-Nangal, Chambal and Cambay we had to spend crores of rupees on foreign consultants for the purpose of designs, erection, construction, etc., because the machinery were manufactured in those countries and when these people came here we

had to pay for them. The designing had to be done by them. Our people had no experience of manufacture. Therefore, in order that we may not lag behind, we have opened a special central organisation for designs preparations and construction of such heavy machinery and having such big projects erected. That would mean that we would have a large number of engineers sent abroad for training. But that will not cost much compared to the crores of rupees that we have to spend on consultants, on erection, etc. This would also work on a commercial basis and assist others.

So far as power is concerned, I may inform the House that the modern technique of repairs of the transmission lines is also necessary. If a line carrying current is stopped for 6, 7 or 8 hours, the factories on the line will be stopped and production will decrease. We are, therefore, training our people in what they call 'hot line training'. That is, the operators can function even when the electric lines are carrying current, when they are live, without stopping the current. They can repair and the current can go on; only that particular part or branch where the repair is going on is cut and there will be no loss in production. There will be no loss of production in the country. The industry will not be stopped. We have two such training centres—one at Bangalore and another at Ganguwal and 150 trainees have been trained till now. It is interesting to see these young operators working with agility while the current is on without any shock. Of course, there are various apparatus to help them.

13 hrs.

Prof. Ranga spoke about lining of the Rajasthan Canal and he also spoke about the Workmen's Compensation Act. It is already there. The dependents of the dead and the injured are given compensation. But apart from that Act, we also give *ex-gratia* payments. We are dealing with people and there should be some human touch and human element in dealing with them. If a worker is injured, or is

dead, immediate relief is to be given. Prof. Ranga is not here; otherwise I would have reminded him of an incident. There was an accident in Hirakud in which about 12-13 people died. I got the message and then Prof. Ranga was sitting in my room. Immediately, I rang up the Finance Minister and got the sanction for Rs. 1,000 or Rs. 2,000 per family. Within fifteen minutes, they were informed that this relief should be given. Even in the case of the mishap at Bhakra, that very evening the Punjab Government had announced *ex-gratia* payments.

When we want the labourers to work, we have to see to their amenities. If they are not there, it is our anxiety to see that they are given. I personally went and saw the amenities at Hirakud. Light, water, rooms, ventilation, bath rooms—these were wanting and then they were given these amenities. It is not only a question of money being given to them and then taking work from them. They are human beings; they are people who are working on the projects and building these huge dams. We cannot ignore them.

Maybe, that all along the 1,400 miles of the Canal, we cannot give them pucca houses because it will cost a lot. Then, today they are working at the first five miles, tomorrow they will go to the next five miles. So, we cannot go on building pucca houses. But reasonable accommodation should be given.

Alternative employment for these people was also referred to. That has been our care too. In the D.V.C. area alone, the number of retrenched personnel comes to about 6,000 till now. Out of that, only 345 are yet to be accommodated. The rest have been absorbed in one or the other project, wherever there were suitable vacancies to utilise their experience. We have opened nine employment exchanges. We have had a special officer to go round all the various projects and interview these people and find out the chances for their employment.



**Shri Muhammed Elias (Howrah):** What about the Pay Commission award? Why do they not get construction allowance?

**Shri Hathi:** If the hon. Member hears me patiently and allows me to go on, he will find that I am not leaving out one point which has been dealt with by him. I think he has been satisfied with the points that have so far been dealt with by me. I shall come to the other points, one by one.

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Minister should also know my limitation.

**Shri Hathi:** I will not take more than 15 minutes; I will not exceed my limits. I know my limitations; I know the value of the time and the anxiety of the hon. Members to speak.

**Mr. Deputy-Speaker:** He knows his limitations; he should also know my limitation.... (*Interruptions*).

**Shri D. C. Sharma (Gurdaspur):** Sir, though the hon. Deputy Minister is speaking very well, we also want to listen to the hon. Minister.

**Shri Hathi:** The question about minor irrigation and tube-well was referred to; that does not fall within the purview of this Ministry.

Sardar Iqbal Singh said that this Ministry perhaps did not take the co-operation of the public. I was rather pained to hear that because it is in this Ministry that we are trying our best to have that co-operation from the hon. Members here and also of the States. We have advised the State Governments to keep the Members informed. Here at the Centre, the hon. Members know that we consult them at each stage. There are progress reports. At the stage of planning also, we have advised the State Governments to know the views of the Parliament Members and also the members of the Legislature. Then, there are the development councils. We have also project committees at each project for the purpose of consultation with the Members. So far as the Centre is

concerned, I may say that we have met almost all the States and also the hon. Members from different States had given us their suggestions. It may not have been possible in all the 544 projects that were undertaken during the last ten or more years. But the hon. Members from Kerala will bear me out that on important projects such as the Idiki project, the Members were called by the State Governments. Seven or eight of these Members who are not unfortunately present now had discussions with the State Government about this question. Public co-operation in respect of the construction of the Kosi embankments is well-known. The people of Bihar themselves did these 150 miles and because of the co-operation of the people the work could be done more economically. The Delhi Shahdara bund was done by people's co-operation. Then again, in regard to Chambal, the Member of Parliament from Rajasthan, Shri Manaklal Verma is looking after that work. When the Chambal Scheme was inaugurated, about 1,000 farmers wanted to come forward and say that they were ready for the utilisation of the waters. Similarly, in various fields either at the table or in the field the co-operation of the people had been sought. We are very keen to have the co-operation of the hon. Members of this House and we shall certainly welcome their suggestions.

I shall now deal with the point raised about the Pay Commission scales and its application to the D.V.C. employees. It is an autonomous body. There are different sets of rules for these autonomous corporations and the conditions of service for the Government servants are quite different. If we are to apply the recommendations to the autonomous bodies and corporations, it would create a kind of a complication because in that case they will have to come under the rules and regulations of the Government which do not apply to them. It is for that reason that things are not automatically made applicable to these persons. That does not mean that we should not pay them what they deserve. That is a separate question altogether.

So, Sir, I think I have covered the questions raised by the hon. Members except perhaps the lining of the Rajasthan Canal. We have taken the decision there also and the work is progressing satisfactorily. I once again express my thanks to the hon. Members who had good words to say about the functioning of the Irrigation Ministry.

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) :  
जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पहली और दूसरी पंच साला स्कीमें जो बनायी गयीं उनमें इस बात के लिये काफी कोशिश की गयी कि जो हमारे वाटर रिसोर्सज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम में लाया जाय। मैं यह कहने के लिये तैयार हूँ कि इतनी कोशिशों के बावजूद इस मसले में हमें जितनी कामयाबी होनी चाहिय थी नहीं हुई। आप देखते हैं कि जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, नदियों और दरियाओं का ताल्लुक है, देश में उनकी कमी नहीं है, और उनकी ताकत या रिसोर्सज जो है उनका भन्दाजा लगाया जाय तो वे १३६ करोड़ एकड़ फीट के करीब हैं, जिनमें से ४५ करोड़ एकड़ फीट यानी तिहाई के करीब भ्रामानी से काम में लाया जा सकता है। फर्ट और सैकिंड फाइव इयर प्लान में जो कोशिशों की गयीं उन तमाम कोशिशों के बावजूद हम ११ करोड़ ६ लाख एकड़ फीट के करीब काम में ला सकेंगे। मैं यह बात इमनिये कह रहा हूँ कि आज हमारे सामने यह सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे जो वाटर रिसोर्सज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम में लाया जाय। थर्ड फाइव इयर प्लान का जो प्रोग्राम है अगर वह भी पूरा हो जाय तो वह तमाम तकरीबन १६ करोड़ के करीब बनेगा। इसलिये आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि इ गिगल और पावर के लिये जो स्कीमें बनाई जायें वे इस मकसद को महेनजर रखते हुये बनायी जायें कि हमारा प्राब्लिरी टारजेट ४५ करोड़ का है। जब तक कि हम उसको पूरा नहीं कर लेंगे हम अपनी कोशिशों को, स्कीमों को,

जारी रखेंगे। इसलिये मेरी यह तजवीज है कि जो थर्ड फाइव इयर प्लान बनायी जाय, उनमें जो प्रोग्राम बनाया जाय, वह इस तरीके से बनाया जाय कि वह प्रोग्राम चौथी, पांचवीं और छठी फाइव इयर प्लान्स में भी चल सके। हमारा जो ४५ करोड़ का टारजेट है वह पूरा हो सके।

मैं इस बात पर इमनिये जोर दे रहा हूँ कि आज इस बात की हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरत है। हम देखते हैं कि प्रायः साल करोड़ों रुपये का भनाज बाहर से मंगाना पड़ता है। इसका भरसक फारिन एक्सचेंज पर पड़ता है। अगर हम इस मकसद में कामयाब हो जायें, तो हमारे देश की जरूरत ही पूरी नहीं होगी बल्कि भनाज सरप्लस होगा और उसको हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे।

दूसरी बात जो इस सिलमिल में मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि जो रिसोर्सज हैं उनको काम में लाने के लिये मिर्फ पोर्टेंशियल क्रिएट करना ही काफी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि जो पोर्टेंशियल क्रिएट किया जाय उसको काम में लाया जाय, उसे फायदा उठाया जाय। मैं यह बात इमनिये कह रहा हूँ कि जो हमारी पिछली दो प्लान्स का मजबूत है उसकी बिना पर मैं यह बान कह सकता हूँ कि जितना पोर्टेंशियल क्रिएट किया गया वह तमाम का तमाम काम में नहीं लाया गया। पिछले दिनों हाउस में भी इस किसम का सवाल उठा था। माननीय मंत्री जी ने खुद जवाब देते हुये इस बान को तमनीय किया था और कहा था कि हमारा जो पोर्टेंशियल क्रिएट किया गया वह १३.२ करोड़ था जबकि काम में मिर्फ १० करोड़ के करीब लाया गया। इससे आप भन्दाजा ला सकते हैं कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को कैसे रोका जा सकता है।

मैंने इस बान को मजबूत की बड़ी कोशिश की और जब मैंने तमाम फेक्ट्स और फिगर्स

### [श्री रामकृष्ण गुप्त]

को स्टडी किया तो मुझे मालूम हुआ कि वह गैप ज्यादा माइनर इरीगेशन में है। इसलिये हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। इसके लिये मेरी तजवीज है कि या तो ऐसे हालात पैदा किये जायें कि मिनिस्ट्री आफ इरीगेशन एंड पावर और मिनिस्ट्री आफ फूड एंड एग्रीकल्चर में आपस में ज्यादा से ज्यादा कोऑरडिनेशन हो, या माइनर इरीगेशन का तमाम काम यह मिनिस्ट्री अपने हाथ में खूद ले ले। ताकि यह गैप कम से कम हो। और मैं इस किस्म की एक नहीं कई मिसालें भी पेश कर सकता हूँ। कि इस गैप के ज्यादा होने से कितना नुकसान हुआ और जो फेमिलिटीज क्रिप्ट की गयीं उनसे कोई फायदा नहीं उठाया गया। ज्यादा दूर न जाने हुए मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पंजाब की रखना चाहता हूँ। पंजाब में ट्यूब वेलिंग की स्कीम बनायी गयी। यह ज्यादातर जालन्धर डिवीजन में थी। उस स्कीम पर लाखों रुपया खर्च किया गया। जो मैं कह रहा हूँ उसकी ताईद पंजाब की जो पब्लिक एकाउंट्स कमिटी है उसने भी की है। जो पानी प्रावाइड किया गया किसानों ने उस पानी को लेने में इन्कार कर दिया क्योंकि वह पानी जो नहरों में मिलता था उसमें वह ज्यादा महंगा था। मैं यह बात आपसे पूछता हूँ कि ये तमाम बातें पहले क्यों नहीं साँची गयीं, और इस वजह से वह तमाम पोर्टेसियन जो क्रिप्ट किया गया वह बेकार गया और वह तमाम रुपया जाया हुआ। जिन इलाकों में नहरें नहीं थी अगर उनमें इस स्कीम को लागू करते तो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता था।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी स्कीमें कामयाब हों इसके लिये जरूरी है कि उनको प्लानिंग के साथ चलाया जाय। एक्सपेंडीचर पर चैक होना चाहिये। मैं इसलिये यह बात कहता हूँ कि बहुत पी स्कीमें जो बनायी जाती हैं उनका जो शुरू में स्ट्रीम इलाता है वह बाद में कई दफा बढ़ता

जाता है। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर खर्च पर पूरा कंट्रोल हो तो यह खर्चा ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिये इस तरफ भी हमारी मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिये। इसके लिये मैं सिर्फ एक ही मिसाल पेश करना चाहता हूँ। भाखरा डैम पर जो खर्चा हुआ वह काफी बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों भी हाउस में यह सवाल उठा था और बतलाया गया था कि शायद पांच करोड़ रुपया और खर्चा किया जायेगा। मेरा यह पूरा विश्वास है कि अगर उसका इतिजाम पूरा होता, अगर अफसरों को बदउनवानियां करने की इजाजत न दी जाती तो शायद खर्चा बढ़ाने की जरूरत ही न पड़ती बल्कि उससे भी कम खर्चा होता। मैं जो कह रहा हूँ वह हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट पर कह रहा हूँ जिसको ग्राम तौर पर पंजाब में दुलत कमेटी के नाम से पुकारा जाता है और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें उसने बहुत सी मिफागिजें कीं और इस बात पर जोर दिया और यह जाहिर करने की कोशिश की कि इस पर जो खर्चा हुआ है वह बहुत कम हो सकता था अगर अफसर लोग नेकनीयती और ईमानदारी से काम लेते और इस बात पर जोर दिया कि उनको सजायें दी जायें, लेकिन अब तक किसी भी अफसर को सजा नहीं दी गयी। पंजाब की जो पब्लिक एकाउंट्स कमेटी है उसने भी इस बारे में जो कहा है वह मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। मैंने यह बात जो कही शायद आप समझें कि मैं सजा के मामले में बड़ा जोर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा काम ठीक हो। सजा जो है वह इसलिये नहीं दी जाती कि किसी से बदला लेने की बात है या विक्रिमाइ-जेशन करने की बात है, लेकिन हमारी मोमाइटी में जो मोशन ईबिल्ड है उनको दूर करने के लिये इसका होना निहायत जरूरी है। पंजाब की पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने कहा है :

"The pitfalls that Bhakra has shown, dug by the mercenary, anti-national feelings of a few

individuals must be avoided to enable India to fulfil her destiny."

आगे चल कर वह कहते हैं :

"It would have been better to have followed the path of Mahatma Gandhi, the path of rectitude and attempted the work without taint of any kind even though success may have been belated. Success was bound to come, it was in the logic of events, in the logic of our destiny. But the success that we have achieved echoes back the pangs of conscience, it is marred by the long shadows of doubted honesty. The anti-climax of this success may be read in the sad pages of the Report of the High Powered Committee..... Punishment of guilty persons does not reflect the vindictiveness, of the human society but it safeguards against unsocial conduct."

मैंने यह बात इसलिये कही कि जी प्राप की हाई पावर कमेटी ने सिफारिशें की हैं उन पर धमल किया जाये और आयन्दा ये चीजें न हों।

इसके बाद मेरा चौथा प्वाइंट जो मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूँ, वह इम्प्लीमेंटेशन का है। हम देखते हैं कि प्रोग्राम बन जाते हैं लेकिन वह इम्प्लीमेंट नहीं होते। मासेज को, लोगों को, किसानों को तो तभी फायदा होगा जब उन प्रोग्राम्स पर धमल हो, कागज पर या फाइल पर उनके रहने से तो उनको कोई फायदा नहीं हो सकता। इसके लिये मैं एक दो मिसालें भी हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। हम जो भी स्कीम या प्रोग्राम बनायें उसको पूरा करने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं जो हमारा हाल ही में कनाल वाटर ट्रीटी एग््रीमेंट सन् १९६० में हुआ है उसकी तरफ हाउस की तरफ ध्यान दिखाना चाहता हूँ। उसके बारे में जो एग्जम्पल रिपोर्ट पेज की गई है उसके सफा ६ पर हम बात का जिक्र किया गया है :—

"During a transition period of 10 years, India will continue to give Pakistan some supplies from

the Eastern rivers, in accordance with detailed regulations set out in the Treaty."

इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे इस बात में कोई ऐतराज नहीं है कि पाकिस्तान को दस साल तक पानी न दिया जाय लेकिन जहां तक इस पानी को रोकने का सवाल है इस पानी को हिन्दुस्तान के राजस्थान और पंजाब के हिस्से में काम में लाने का सवाल है वह काम में नहीं लाया जा सकता जब तक कि उसके साथ हम १० साल के लिये धरना दस साला प्रोग्राम न बनायें और उसको इम्प्लीमेंट न करें वरना उसके बाद फिर वही सवाल पैदा होगा। क्योंकि जहां पानी नियामत है वहां वह जिन्दगी के लिये खतरा भी बन सकता है। अगर कोई प्रोग्राम प्लानिंग के बगैर होगा तो उस पानी से नुकसान भी हो सकता है। इसलिये मेरी यह तर्जवीज है कि जो हमारा सतलज ब्यास लिंक का प्रोग्राम है उसको पूरा किया जाय और उसको दस साल के अन्दर मुकम्मल किया जाय। पाकिस्तान को दरियाए रावी और ब्यास का जो पानी दिया जाता है उसको हमें हिन्दुस्तान के हिस्सों में काम में लाने की कोशिश करनी चाहिये। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है :—

"Historically, a supply of 8.27 million acre feet was being delivered during Kharif at Madhopur and Ferozepur."

माधोपुर और फीरोजपुर का जो सवाल है वह बात मैं इसलिये कह रहा हूँ कि माधोपुर हैडवर्क्स में पाकिस्तान को रावी का पानी दिया जाता है और फीरोजपुर हैडवर्क्स से सतलज और ब्यास को पानी दिया जाता है। इस पानी को रोकने के लिये एक ही तरकीब है कि जो हमने सतलज ब्यास लिंक की स्कीम बनाई है उसको जल्दी में जल्दी बर्तन टाटम पूरा किया जाय। दूसरे मैं प्राप से यह भी पूछना चाहता हूँ कि जब माधोपुर हैडवर्क्स में रावी से पानी दिया जाता है तो उसे रोकने की क्या तर्जवीज है ? जहाँ तक मेरा ब्यास है उसके

[श्री यादव नारायण जाधव]

लिम्बे एक ही तरीका हो सकता है कि सतलज ब्यास लिंक की तरह ब्यास रावी को भी लिंक किया जाय। आप इस बात को खूब जानते हैं कि रावी की सिचुएशन ऐसी है कि वह हिन्दुस्तान के जिस हिस्से से गुजरती है उस हिस्से में पानी की उतनी जरूरत नहीं रहती जितनी कि पानी की जरूरत उस हिस्से में है जो हिस्सा कि पाकिस्तान में है। इसलिये उस पानी को रोक कर काम में लाने का एक ही तरीका है कि इसी तरीके से रावी को भी ब्यास के साथ लिंक किया जाय और ब्यास को सतलज से लिंक किया जाय और गोविन्द सागर में तमाम पानी स्टोर करके उसको आगे दिया जाय क्योंकि आगे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। खास करके हिन्दी रीजन में जिसको कि यमुना का पानी मिलता है और वहां बरसात के मौसम को छोड़ करके तमाम साल पानी की कमी रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यमुना दरिया बरसाती दरिया है। उसके अन्दर बर्फ का पानी कम है और इसलिये गर्मी और सर्दी में उसमें कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने का एक ही तरीका है कि रावी को ब्यास से लिंक किया जाये और ब्यास को सतलज से लिंक किया जाये और उससे जो पानी स्पेयर हो वह यमुना की जो नहरें हैं उनको भाखड़ा डैम से फीड किया जाये और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान और पंजाब की किस्मत का दारोमदार उस एप्रीमेंट के सबसेसफुल इम्प्लीमेंटेशन पर है। अगर दस साल के अन्दर अन्दर हम ने स्कीम बना कर इस पानी को रोकने की कोशिश नहीं की तो राजस्थान और पंजाब की हालत वही रहेगी जोकि इस वक्त है।

इसके बाद मैं थोड़ा सा अपने हलके के बारे में भी कहना चाहता हूँ क्योंकि जिस कांस्टीट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसकी यह हालत है जैसे कि मैंने इस बात को एक दफे नहीं कई दफे इस बात का जिक्र किया कि महेन्द्रगढ़ के हलके में खाली खेतीबाड़ी के

पानी का ही सवाल नहीं है बल्कि वहां पीने के पानी का सवाल भी बहुत टेढ़ा मसला बना हुआ है। अभी माननीय डिप्टी मिनिस्टर पिछले दिनों वहां पर गये थे। उन्होंने अपनी आंखों से दो नजारे देखे। एक हलका तो ऐसा था जहां वाटर लीगिंग का मसला बड़ा सीरियस और नाजुक था। उससे २५ मील के फासले पर तकरीबन एक घंटे की यात्रा के बाद वह दूसरे हिस्से में दाखिल हो गये जहां कि खेती बाड़ी के लिए ही नहीं बल्कि लोग पीने के पानी की भी बहुत तंगी महसूस कर रहे थे और पानी के लिए बेकरार थे। इसलिए मैं यह बात कहता हूँ कि आज जब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है आज जबकि बड़े बड़े काम साइंस के जरिये हो सकते हैं तो क्या हमारे सरकार के इंजीनियर्स कोई ऐसी तरकीब नहीं निकाल सकते कि वह जो २५ मील के फासले पर पानी उस खेतीबाड़ी को तबाह कर रहा है, वाटर लीगिंग बनी हुई है, उसी पानी को आगे लेकर उस हिस्से में डाल दिया जाय जहां कि पानी की बहुत कमी है तो ऐसा होने से दोनों हिस्सों को फायदा पहुंच सकता है मेरे खयाल में अगर उस तरफ ध्यान दिया जाय तो यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर उस इलाके को फायदा पहुंचाने के लिए कोई स्कीम बनाई जाय तो कोई न कोई प्रोग्राम इस किस्म का बना सकते हैं।

इसी तरीके से यह ड्रेन नम्बर ८ का सवाल है और हाउस में इसका जिक्र कई बार आया है। दिल्ली के जो रहने वाले हैं वह भाई नहीं चाहते कि ड्रेन नम्बर ८ का पानी जमुना में डाला जाय। उससे दिल्ली गहर को खतरा हो सकता है। लेकिन मैं उस खतरे को धोड़ने के लिए तैयार हूँ। उससे दस मील ही दूर महेन्द्रगढ़ का हलका शुरू हो जाता है जहां पर कि पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों नहीं वहां कोई डैम बना कर उस पानी को उस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाय जहां कि उस पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है।

आखिर में मेरी एक छोटी सी तजवीज है और वह यह है कि जो दादरी डिस्ट्रिक्ट-ब्यूटरी है वह फ्लड-चैनल है और तमाम की तमाम उसकी लाइनिंग पूरी हो चुकी है। मैं माननीय मंत्री से एक सवाल पूछता हूँ कि क्या वह मुझे यह बतलाने की कोशिश करेंगे कि हिन्दुस्तान में कोई दूसरी ऐसी नहर है जोकि पक्की हो और जिसकी कि लाइनिंग हो चुकी हो? लेकिन वह बरसाती नहर हो। उस नहर पर ८० लाख रुपया इसलिए खर्च नहीं किया गया कि उसको बरसाती रखा जायगा। मेरी यह अपील है कि उसको जल्दी से जल्दी पेरीनियल कर दिया जाय। मैं यह बात इसलिए कहता हूँ कि मरी फरियाद सिर्फ पानी के लिए है . . .

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप मेरी फरियाद नहीं सुनते, मिनिस्टर साहब आपकी कैसे सुनेंगे ?

**श्री यादव नारायण जाबब (मालेगांव) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस इरीगेशन ऐंड पावर मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर बोल रहा हूँ वह ऐसी डिमांड्स हैं जोकि हमारी जिदगी में एक खास हैसियत रखती हैं। हमारे देश की कुल आबादी अभी करीब ४४ करोड़ के बताई गई है। हमारे देश में देहातों की संख्या करीब साढ़े ५ लाख है। अब यह चीज देखते हुए कि हर हिन्दुस्तानी के पास कितनी जमीन है हमारा सबसे पहला फर्ज यह है कि हम जमीन में से ज्यादा से ज्यादा पैदा करें। हमको बाहर से कितना अनाज मंगाना पड़ता है उससे आपको पता चलेगा कि हिन्दुस्तान में हमें इस बारे में कितनी कोशिश करनी चाहिए।

सेकंड फाइव डायर प्लान के पहले तीन सालों में ३६ लाख टन अनाज हमें बाहर से लाना था ऐसा हमारा भ्रंदाजा था लेकिन हमें करीब करीब ३६ लाख टन अनाज लाना पड़ा। ३६ लाख टन अनाज की कीमत १४४ करोड़ है और ६६ लाख टन अनाज की कीमत ४४४ करोड़ रुपये है। इसको देखते हुए इस बारे में हमें बहुत सोचना पड़ेगा। जैसे एक इन्सान

को जिन्दा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है और उसको पानी पीने के लिए चाहिए उम्मी तरफ से जमीन की जरूरत होती है। जमीन उपजाऊ बनाने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत है, अच्छी धूप मिलनी चाहिए साथ ही पानी भी चाहिए। हमारे देश में सूरज की रोशनी काफी है। अच्छी धूप है। जमीन भी उपजाऊ है। हिन्दुस्तान में भ्रलग भ्रलग स्टेट्स में बारिश भी जुदा जुदा होती है कहीं पर ५ इंच बारिश होती है तो कहीं पर १०० इंच बारिश भी हो जाती है। हमारे देश में वर्षा की कमी नहीं है वह काफी होती है। हिन्दुस्तान में कितना एकड़-फीट पानी हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस का भी अन्दाजा माहिरों ने लगाया है। हमारी योजना थी कि आने वाली पांच-साला योजना में हम करीब करीब बारह करोड़ एकड़ जमीन ज्यादा सिंचाई में लायेंगे २४ फरवरी, १९५६ को मेरे अन्स्टांड क्वेस्ट्यन नम्बर ८२४ का जो जवाब दिया गया है, उससे पता चलता है कि इरिगेशन के बारे में हिन्दुस्तान की पिक्चर क्या है और कितनी एकड़ जमीन को पानी मिलता है। आज इस सदन में हर एक मेम्बर यह कोशिश करेगा कि जिस हल्के से वह आता है, वहां इरिगेशन की ज्यादा से ज्यादा फ़ैसिलिटी मिले। हर एक का यह फर्ज भी है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान एक आदमी की कांस्टीट्यूएन्सी नहीं है और इस लिये हम को हिन्दुस्तान की पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी और इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में जो भ्रलग भ्रलग राज्य हैं, उन में काफी पानी मिले। आज हम देखते हैं कि किमान पानी के लिये तरस रहा है और अधिक पानी के लिये मांग कर रहा है। लेकिन हम विषय में जो पिक्चर हमारे सामने रखी गई है, वह इस प्रकार है : आन्ध्र प्रदेश को २४.३ परसेंट जमीन को, आसाम में ३० परसेंट को, बिहार में २३.७ परसेंट को, बम्बई में, जो कि अब महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बंट गया है ५.४ परसेंट, जम्मू तथा काश्मीर में

### [श्री यादव नारायण जाधव]

४६.७ परसेंट, केरल में १८ परसेंट, मध्य प्रदेश में ५.३ परसेंट, मद्रास में ३७.४ परसेंट, मैसूर में ६ परसेंट, उड़ीसा में १७.४ परसेंट, पंजाब में ४५ परसेंट, राजस्थान में ११ परसेंट, उत्तर प्रदेश में २६ परसेंट, वेस्ट बंगाल में २२ परसेंट, दिल्ली में ३५.६ परसेंट, हिमाचल प्रदेश में १४ परसेंट, मनीपुर में ६६ परसेंट और त्रिपुरा में ०.८ परसेंट ज़मीन को पानी मिलता है। इस प्रकार स्थिति यह है कि पूरे हिन्दुस्तान में १६५४-५५ में ३१ या ३२ करोड़ एकड़ ज़मीन में से सिर्फ १७.६ परसेंट ज़मीन इरिगेटेड है। इस सम्बन्ध में हर एक स्टेट की जो स्थिति है, वह मैंने अभी बना दी है।

इन फ़िगर्ज़ को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक है कि हिन्दुस्तान में पानी की जो मांग है, उस को पूरा करने के लिये हमें कुछ न कुछ प्लानिंग करनी चाहिए और पहला दूसरा और तीसरा प्लान बने भी हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्लान बनते हैं, उन का जो एस्टीमेट होता है कि प्लान से क्या फ़ायदा होने वाला है, उस के फ़िगर्ज़ बहुत नाराज़ करने वाले होते हैं। मैं श्री कंबरसेन द्वारा लिखित एक किताब "मास्टर प्लान्ज़ फ़ार इन्टग्रिटेड वाटर यूटिलाइज़ेशन" पढ़ रहा था। मेजर और माइनर इरिगेशन से हमें जो फ़ायदा हुआ है, उस के बारे में उन्होंने बताया है :

"However, actual achievements in major and minor irrigation schemes so far are not up to expectations. Statistics have been published in this connection by the Planning Commission, Government of India, and also, by the Statistical Division of the Ministry of Food and Agriculture. Reports have also been received by the Central Water and Power Commission. The source of all these statistics is the reports from the State Governments. Again a target of 8.5 million acres from major irrigation schemes, irrigation facilities

were actually provided for 6.3 million acres, whereas according to the figures reported by the Planning Commission, an area of 4 million acres was brought under irrigation. According to statistics given by the Ministry of Food and Agriculture, the additional area irrigated by major schemes during the First Plan works to be about 2 million acres."

ये जो पिक्चर हमारे सामने आती है, जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने रखे जाते हैं, उन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्लानिंग कमीशन से जो फ़िगर्ज़ आती हैं, वे अलग होती हैं, फूड एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री से जो फ़िगर्ज़ आती हैं, वे अलग होती हैं। इन सब फ़िगर्ज़ से, इस पिक्चर से हमको इस बारे में कोई अन्दाज़ा नहीं मिलता है। मैं यह मानने के लिये तैयार हूँ कि जो स्कीम और प्राजेक्ट हम तैयार करते हैं, उन से यही फ़ायदा होने में काफ़ी अर्सा लगता है। मैं ने इस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देखी है। मैं चाहता था कि गये साल में इरिगेशन के फ़ायदों के बारे में पूरे हिन्दुस्तान का नक्शा उस में दिया जाता और स्टैटिस्टिकल फ़िगर्ज़ दी जातीं। इस विषय में जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं, तो या तो १६५४-५५ की फ़िगर्ज़ दी जाती है, या १६५५-५६ की फ़िगर्ज़ दी जाती है।

आज वेस्ट बंगाल में पानी के इस्तेमाल के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए माननीय उपमंत्री ने कहा कि उस की यूटिलाइज़ेशन का काम वेस्ट बंगाल का है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बारे में जो जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उस से वह छटकारा नहीं पा सकती है। इस में स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो को-ऑपरेशन और को-ऑर्डिनेशन चाहिए, वह ताने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यह चाहता हूँ कि जो पिक्चर सवाल के जवाब में रखी गई है, उस के ध्यान में रखा जाये और जिन एरियाज़ में पानी की खाम ज़रूरत है, वहां ज्यादा यूनिट्स देने का प्रयत्न किया जाये। मैं ने आप के सामने अभी बम्बई, अर्थात् महाराष्ट्र और गुजरात,

और मध्य-प्रदेश के जो फ़िशर्ज़ रखे हैं, जो कि ५.४ परसेंट है, उनकी तरफ़ माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये दोनों राज्य इरिगेशन की दृष्टि से अनडेवेलपड हैं। इसलिये उन की तरफ़ विशेष ध्यान देना चाहिए।

कान प्रोफ़ेसर रंगा ने कहा कि महाराष्ट्र में जो कोयना हाइड्रो-इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाई गई है, वह कौन से इंजीनियरों ने बनाई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को इरिगेशन के लिये पानी की जरूरत थी, उस को पावर की जरूरत नहीं थी। इस बारे में उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया। मैं उन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने महाराष्ट्र की पानी की मांग को स्वीकार किया। लेकिन कोयना प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र को पावर का कितना फ़ायदा होने वाला है, वह मैं बात में बताऊंगा।

श्री गुप्ता ने जाँ कहा, उमको मैं मानता हूँ। पानी एक बहुत जरूरी चीज़ है। अनाज का सवाल हिन्दुस्तान में बहुत कड़ा है। हमें यह बात भी भुनानी नहीं चाहिए कि हमारे देश की आबादी बढ़ रही है। गये पचास साल में हमारी आबादी ५२ परसेंट बढ़ी। अभी जो मर्बुसधुमारी हुई है, उस के जो फ़िशर्ज़ हमारे सामने धाये हैं, उन से प्रकट होता है कि हमारी आबादी २२ परसेंट बढ़ी है। इस से हम को यह सबक लेना चाहिए कि भविष्य में हमारी आबादी बढ़ने वाली है। यह भी देखना चाहिए कि फ़ैमिली प्लानिंग की स्कीम का जाँ कुछ असर होना चाहिए, वह कितना हो रहा है। कृषि और अन्न मंत्री, श्री एस० के० पाटिल, ने परसों कहा कि अन्न मेरे बारे में कोई बोलता नहीं है, हिन्दुस्तान में इतना अनाज हो गया कि अन्न फूड मिनिस्ट्री के ऊपर कोई नुक़तापीनी नहीं करता है। मैं उन से यह कहना चाहता हूँ कि इस विषय में इतना मैल्फ़-काम्प्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है। जो ६६ लाख टन अनाज बाहर से मंगाया जाता है, उस पर ४४४ करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इसलिये उन को देश में अनाज के बारे में मैल्फ़-काम्प्लेसेंट पैदा करने

की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देश में और अधिक अनाज पैदा करने के उपाय किये जाने चाहिए और उस के लिये यह आवश्यक है कि इरिगेशन की दृष्टि में ग्रैंडर-डेवेलपड एरियाज़ को पानी की अधिक सुविधायें देने और उन रिजन्ड को आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री कंवरसेन ने एक बात यह कही है कि इरिगेशन भी काटेज इंडस्ट्री जैसी बन सकती है। हिन्दुस्तान में अलग अलग फ़ार्मों में इतने माहिर नहीं हैं। लेकिन इरिगेशन एक ऐसी चीज़ है, जिस में किसानों को काम मिल सकता है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के शुरू करने से लोगों को काम मिलता है और उस के बाद भी जहाँ इरिगेशन हो, वहाँ लोगों को काफ़ी काम मिलता है। मैं खुद जानता हूँ कि यद्यपि हमारे यहाँ ज्यादा इरिगेशन फ़ैसिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन प्रोपन बैल्ड हैं। वहाँ पर किसान का कुनबा पूरा दिन काम कर सकता है और उस को कम्पलसरी लेबर मिल सकता है। एम्प्लायमेंट पोर्टेणयल के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं तो हमें इस तरफ़ ध्यान देना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि काटेज इंडस्ट्री जो हम को चाहिये वह भी इस बरत बहुत कम है और उम की तरफ़ भी हम को ध्यान देना पड़ेगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ एफ़ारंस्टे-शन के बारे में। हमारे जो कैचमेंट एरिया है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के, वहाँ पर जो फारेस्ट हैं वह ख़त्म होने जा रहे हैं। मैं जिस स्टेट में आता हूँ और जिस जिले में आता हूँ वहाँ पर नासिक जिले में चनकापुर डैम है वहाँ पर पानी ख़त्म हो गया है और दो थूगर फ़ैक्ट्रीज़ ख़तरे में हैं। वहाँ पर फारेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गये हैं। मैं ममन्नता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को इस बारे में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उन के लिये एफ़ारंस्टेशन की तरफ़ और स्वायत्त कंजर्वेशन की तरफ़ ध्यान दे कर



[श्री यादव नारायण जाधव]

पानी बरसाने की बहुत जरूरत है। अभी हम इस की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे सके हैं।

इस के बाद मैं पावर के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। लेकिन माहब ने कहा है :

"Democracy plus electricity is socialism."

अभी यहाँ पर मैं रशिया की बात नहीं कहना चाहता वहाँ पर डिमाक्रेसी नहीं रही लेकिन एलेक्ट्रिसिटी हो गई। लेकिन यहाँ पर एलेक्ट्रिसिटी की जरूरत कितनी है यह हमें ममझने की कोशिश करनी चाहिये। हमारा देश ऐसा है जहाँ छोटी छोटी सनतें बन सकती हैं। इस की पिकचर हम पंजाब में देख सकते हैं। जलंधर या दूसरे छोटे छोटे मुकामों में तमाम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बनी हैं। उस को देख कर हमारे श्री गोरे से बात चीत करते हुए वेस्ट जर्मनी की सोशलिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कहा हमें बहुत सी छोटी छोटी चीजें चाहियें। मशीन भी उन्होंने हम को दिखाई, स्कू इाइवर दिखाये। इस तरह की

छोटी इंडस्ट्रीज की हमें जरूरत है, हम उन को बढ़ा सकते हैं। इस के लिये पावर चाहिये और सस्ती पावर चाहिये, जो कि हम को मिल सकती है। इस वक्त हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर को बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिये। क्योंकि जो मेजर स्कीम है, मस्टी परपज योजनायें हैं उन्हें पावर मिल सकती है, लेकिन कहीं कहीं पर हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर नहीं मिल सकती है। हमारी जो पर कैपिटा अवलेबिलिटी है उसके लिये इस तरह से बतलाया गया है :

"The annual per capita generation of electricity in India is 39 kw. hours as compared to Norway 7,740 kw. hours, Canada 5,780 kw. hours, U.K. 1,910 kw. hours and Japan 875 kw. hours."

हमें मिलती है साली ३९ कीलोवाट अवसं। इस से पता चलता है कि हम को कितनी पावर की जरूरत है। आज जो पावर है हिन्दुस्तान में वह साली बड़े बड़े शहरों में

जा कर कंसंट्रेट हो गई है। इस रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है कि हमारे यहाँ कितने देहातों को पावर मिली है। रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन की जो योजना है उसे देखते हुए आज हमें पावर की बहुत जरूरत है, ऐसा महसूस होगा। थर्ड प्लैन में जो टार्गेट है उस से पता चलता है कि उस में हम साली २५,००० देहातोंको बिजली पहुंचा सकेंगे। हम बिजली को देहातों में रोशनी करने के लिये नहीं चाहते हैं, हम जो ओपेन वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं जिन का इस्तेमाल हम इरिगेशन के वास्ते करते हैं, उन के वास्ते बिजली चाहिये, छोटी छोटी सनतों के लिये बिजली की जरूरत होगी।

अब मैं फ्लड कंट्रोल के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। फ्लड कंट्रोल न होने से हमारा कितना नुकसान होता है। उस के बारे में मैं ने किताब से बतलाया। उसी में से मैं कुछ फिगरस बतलाना चाहता हूँ, इस से पता चलेगा कि हमें इस तरफ कितना ध्यान देना चाहिये। फ्लड्स की वजह से देश का बहुत नुकसान हो रहा है।

"The widespread and damaging floods of 1954 emphasize the need for a co-ordinated solution of the flood problem on a national basis. The enormous damages caused by floods in India during the last decade is well-known and needs no elaboration. The total damage from 1952 to 1956 has been estimated to be of the order of Rs. 323 crores, excluding the loss of human beings and cattle and disruption of communication. The relief and rehabilitation expenditure during the same period has been of the order of Rs. 50 crores."

इससे हम को पता चलेगा कि फ्लड कंट्रोल के बारे में हमें कितना ध्यान देना चाहिये। यह जो योजनायें हम बनाते हैं उन में वह शामिल होता है। इस के लिये मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं ने पिछली दफा एक सवाल पूछा था जिस के जवाब में हाथी साहब ने बतलाया था कि जो छोटी छोटी नदियाँ हैं,

पेरीनिग्रल नदियां हैं, उन की तरफ भी हम ध्यान देंगे। इसके बारे में भी हमारा पूरा सबूत होना चाहिये। इस के स्टेटिस्टिक्स भी यहां बतलाये जाने चाहिये। हैदराबाद में जो इरिगेशन मिनिस्टर्स कांफरेंस हुई थी उस के अन्दर कहा गया था कि हम माइनर इरिगेशन की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि माइनर इरिगेशन से ही हम जमीन से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इस से एक तो फायदा यह होगा कि जो हमारी मैन पावर है हम उस का उपयोग कर सकेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि पुरानी बम्बई स्टेट में श्रीर प्राज की महाराष्ट्र स्टेट में सेकेन्ड क्लासिफिकेशन है। गवर्नमेंट इस के बनाने के लिये खर्च करती है। लेकिन उस के बाद उस के मेन्टेनेन्स और रिपेअर्स वगैरह का जो खर्च होता है वह हम करते हैं, और उससे यह फायदा होता है कि हम उन को कम दाम में पानी दे सकते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि प्राज बंगाल गवर्नमेंट को लोगों ने १ करोड़ ६० से ज्यादा का रेवेन्यू नहीं दिया है जबकि पानी इस्तेमाल किया है। किसान पैसा क्यों नहीं देता है? उस के लिये इरिगेशन रेट्स ज्यादा होते हैं इसलिये उस को पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। प्राज ऐसी हकीकत पैदा हो गई है। इस लिये मैं चाहूंगा कि फस्ट क्लास इरिगेशन हो और उस में लोगों का सहयोग हो। मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन स्टेज से मेन्टेनेन्स तक अगर लोग कोभापरेशन करने की कोशिश करेंगे तो हमारा बहुत फायदा होने वाला है।

**Mr. Deputy-Speaker:** Some hon. Members had expressed a desire that they might be informed of the programme for the discussion of the Demands for Grants of the Ministry of External Affairs. The Prime Minister has been consulted. He may initiate the debate at 3-45 p.m. He will then take only fifteen minutes. The hon. Members from the opposition can start the discussion at about 4 o'clock.

**Dr. Atchamamba (Vijayavada):** Mr. Deputy-Speaker, irrigation and power are the lifeline of progress of the

country. Irrigation means food and power means industry. When we talk of irrigation, we now think in terms of individual States rather than the country as a whole. We think in terms of disputes between individual States. The rivers in our country, as anywhere else, cannot confine themselves to one State. They flow through a number of States. If we think in terms of the States through which the rivers chance to flow, we would be going into very difficult waters. I feel the time has come when we must have river development boards which will think about the whole valley through which the river passes, from the beginning to end, rather than in terms of individual States. It is the technical people like engineers in the board who will be able to design and take up projects for execution. Unless we have such development boards for all the rivers of this country, it will be difficult for us to execute river valley projects. Take, for example, the river Narmada, which in the centre of India. It flows through two States, Gujarat and Madhya Pradesh. The land and the valley are very fertile, but we have not yet used even one drop of its water for irrigation. If we had a board, the board could have planned thoroughly as to how we could utilise all the water and we could have had by this time a number of projects and would have made use of the soil as well as the water.

Let us take our project, the Nagarjunasagar Project. It is a huge project. Of course, people in Delhi do not know how huge, how useful and how wonderful it is, because it is far away. Lakhs and lakhs of acres of land will be irrigated once it is finished. The amount of water that will flow in its canals will be very huge. It will be 21,000 cusecs or so, much more than the 18,000 cusecs of the Rajasthan Canal. Yet, when we see the pace at which it is going, we find that it is going at a snail's pace which is really not at all creditable to us. Considering the huge size of that project, at this rate we do not know how many Plans will have to be passed through

(Shri Atchamamba)

before the project is finished. When we see our census figures, we see the great increase in population. We know that the food question is becoming very, very acute day by day and year after year. We are spending crores and crores of rupees in buying food from other countries when we have such huge rivers and plenty of very beautiful and fertile land for our use.

Just like that, on the Godavari, before 1951, that is, long before any dispute was there and when it was in Telangana, when the Nizam was there, a project called the North Godavari Canal Project was contemplated, settled and started. It consumes about one-tenth of the flow of water of Godavari at the spot. Why should there be any objection to starting the same kind of project just on the other side of the river? We can call it the South Godavari Canal Project. There is a small village, called Pochampadu and the project may be called the Pochampadu Project, but if we do not want to name it after some padu, let us leave that out and call it the South Godavari Canal Project. Why should it be stopped because there is some dispute between the other States? Even if the allocation of water is made, certainly it will be more than one-tenth. So, we can as well start it now. We need not wait for the final settlement of the dispute. We are wasting the water. It is an important project. It is a very simple project. It does not involve very much money or cost. Being very high and the gradation being so good, by simply having a small weir and a canal system we can irrigate lakhs and lakhs of acres of land. From the beginning we can irrigate. As such it is really a shame that because of these so-called disputes we should stop such an important, simple and cheap project which would produce millions of tons of food that is so much wanted in this country.

Again, there is another very decent project, called the Srisalem Power Project on the Krishna. At that spot, you can produce power at the cheapest rate in India. Srisalem is situated in the centre of Andhra; so the current

need not be wasted, when power is distributed, just as a lot of power is wasted when we bring it from Machkund as it has to travel miles and miles. Here, Srisalem being in the centre of Andhra, all round power can be easily supplied.

In this connection, I must bring it to the notice of the hon. Minister that considering the size of Andhra it has the least power. As such, we must have this Srisalem Project. There is objection to this also because they say that let the water dispute be settled before this comes along. But why should it wait? In a project like this, the Andhra Pradesh Government is not asking for the wastage of water. Water is not expended. It is not used up.

13.55 hrs.

[SHRI JAGANATHA RAO in the Chair.]

Of course, a little water may be lost due to evaporation. So, when the final allocation of water is made you can deduct this from the allocation to Andhra Pradesh. It is a very simple thing. For such a simple thing, we need not stop this project which is so important for Andhra Pradesh and for the country as a whole.

Because we have not got these development boards, projects not only of Andhra Pradesh but all over the country are suffering. We have the Purna Project in Maharashtra which is a very, very small project. It is taking years and years. Our projects are taking so long because, first of all, I feel that we are not thinking of the time factor at all. We are only thinking of the money and the amount of work but not about time perhaps. Without considering the time factor, we are wasting a lot of money. If a project takes a number of years, the establishment and all that add to the cost of that project. If we finish it soon, the profits that accrue because of that will go towards lessening the cost.

I was talking of the Pochampadu or the South Godavari Canal Project. It is a very cheap and a simple project. From the second year of that project we will get profits. We will get, as I

said, a lot of food which means crores and crores of rupees. By postponing it, we are only adding, as it were, to the cost of the project when we actually start it. There is a lot of delay in the execution of the projects. That is because we are taking these projects to the States and we are considering the population and the money. Each time we say that the particular State is not able to spend so much money that is allotted and take it up. So, these projects are taking enormous time and meanwhile we are losing the profit that we should get by that project.

It is not the river dispute boards that we want. We want the river development boards to go into the potential of the river as a whole and to see how best the whole of this water can be used. Then a sort of harmonious discussion should be there. There we are thinking of the whole country and not of one particular area. Nothing like that.

I was talking of the Godavari. It is a huge river with plenty of water in it. How are we using it? We have got, thanks to the British regime, two projects, one at Nasik at the very beginning and another in the Godavari District, almost at the end. Both these projects utilise only 5 per cent. of the water. 95 per cent. of this precious and sacred Godavari water is rushing into the sea as waste. We have plenty of land, plenty of water and plenty of need for this water for irrigation and for food which we are not able to use. It is really a shameful thing. So, I suggest that the sooner we form these boards, without thinking of prejudices or political pulls or influences but only thinking of how to use the water and how to utilise the basin as a whole as well as the waters for the benefit of agriculture and for the production of power, it will be much better. The very idea of a dispute is very repulsive.

14 hrs.

**Shri Hathi:** May I clarify that point? We have already initiated action for forming these boards. A dispute is something different. I have mentioned

seven boards; there is already one proposal for the Krishna and the Godavari.

They have nothing to do with the dispute. They are for the development of the basin as a whole.

**Dr. Atchamamba:** I am very happy that the Ministry have started these boards, and I hope that without any prejudices or political influences, these boards will work solely for the benefit of the country and for the development of the basin and the water resources as a whole.

**श्री जगदीश प्रवर्षी (बिल्हीर) :**

सभापति महोदय, सिबाई प्रौर विद्युत् मंत्रालय की खर्च की मांगों के सम्बन्ध में बोलते हुए माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातों की चर्चा की है। मैं इस अवसर पर देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण लाखों आदमी बेघरवार हो जाते हैं प्रौर प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है, उसकी प्रौर माननीय मंत्री प्रौर इस मदत् का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रतिवेदन में बाढ़ नियंत्रण बांड की चर्चा की गई है कि इस बाढ़ को रोकने के लिए एक बांड की स्थापना हुई प्रौर उसने उसकी सहायता के लिए विभिन्न राज्यों में बाढ़ नियंत्रण बांड की स्थापना की, इसकी प्रौर कुछ कामों की चर्चा की गई है प्रौर इस चर्चा में बतलाया गया है कि लगभग ३००० मील तक नदियों के तटों को ऊंचा किया गया प्रौर कई हजार गांवों को ऊंचा किया गया। इन तमाम प्रयत्नों प्रौर उपायों के बावजूद भी बाढ़ का प्रकोप निरन्तर बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक वर्ष न केवल बड़ी नदियों में अपितु जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें भी भीषण बाढ़ आई। मैं किसी अन्य प्रदेश का जिक्र नहीं करना चाहता। अपने उत्तर प्रदेश को बाबत में बतलाना चाहता हू कि वहां पर अभी पिछले वर्ष इतनी भीषण बाढ़ आई प्रौर वह केवल बड़ी नदियों तक ही सीमित नहीं थी अपितु छोटी छोटी नदियों में भी बाढ़ आई जिसमें कि प्रदेश के कई जिलों प्रौर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की लखनऊ नदी में भीषण

### [श्री जगदीश श्रवस्थी]

बाढ़ आई और उसके कारण जो अपार क्षति हुई वह सारे देश को पता है। छोटी नदियों मसनन ईसन, कालिन्दी, रिद, पांडव, उत्तरी और दक्षिणी नोन और सेंगर आदि में बड़ी भीषण वाढ़ आई और उसके फलस्वरूप हरोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। अब उसके लिए प्रांतीय सरकार ने या हमारे केन्द्रीय मंत्री महोदय ने हवाई जहाज पर बैठ कर उसका सर्वे कर लिया तो उससे कोई बाढ़े रुकने वाली नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि यह एक बड़ी भीषण समस्या है जिस पर कि केन्द्रीय सरकार को विशेष करके गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस मामले में वही कड़ावत चरितार्थ हो रही है कि मज बढता गया ज्यों ज्यों दवा की। मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कहता हूँ। अभी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को सन् १९५४ से लेकर बाढ़ सम्बन्धी चीजों को रोकने के लिए ३ करोड़ रुपये से ज्यादा आपने ऋण के रूप में दिया है। लेकिन आप देखें कि जो अपार क्षति होती है वह पैसा उसमें कहां तक खर्च होता है और क्या उससे काम होता है? इसको देखने से मालूम होगा कि बाढ़ सम्बन्धी समस्त योजनाएं असफल हो जाती हैं। इसके बारे में आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मैं ने उस रिपोर्ट में पढ़ा है कि आप नदियों के तट को ऊंचा करते जाते हैं लेकिन आपकी जो नदियां उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में बहती हैं उनकी सतह नीची होती जाती है। अब खाली नदियों के तटों को ऊंचा करने से पानी का जो बहाव है वह रुक नहीं सकता है और वह तब तक नहीं रुक सकता है जब तक कि आप नदियों की तह को खोदेंगे नहीं और उनको गहरा नहीं करेंगे। नदियों की सतहों को गहरा करने के लिए कोई मुआव नहीं रखा गया

है। अब नदियां धीरे धीरे उभरती जा रही हैं और जब तक कि आप उनकी तह को खोद कर गहरा नहीं करेंगे तब तक खाली उनके तटों को ऊंचा करने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है।

जिलों में जो आप की छोटी छोटी नदियां बहती हैं उनके बारे में कोई योजना नहीं बनाई गई है। आवश्यकता इस बात की है कि उन छोटी छोटी नदियों के बारे में भी आप सर्वेक्षण कराये क्योंकि इन में आये साल बाढ़े आती रहती हैं और उनके फलस्वरूप धन जन की बड़ी हानि होती है, हजारों गांव जलप्लावित हो जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपये का जो नुकसान हुआ है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह बड़ा आवश्यक है कि इन छोटी छोटी नदियों के वास्ते भी कोई बाढ़ नियन्त्रण योजना बनाई जाय।

सिंचाई के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की ओर से बड़ी बड़ी बांध की योजनाएं चलाई जाती हैं। उन बांध की योजनाओं से आपकी नहरें निकलती हैं और उनसे आपने अभी तक पानी दिया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों की ओर से बहुत जमाने में जो नहरें चली आ रही हैं वही आपके सिंचाई के साधन मात्र हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है मैं भी कहना चाहूंगा कि आपको अपनी योजना में इस बात को देखना चाहिए कि सारे देश में अभी भी कितनी भूमि असिंचित पड़ी हुई है और उसके लिए क्या क्या योजनाएं बनानी हैं। लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रूप में इस प्रतिबेदन में कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि उसको भी ध्यान में लिया जाय।

अब एक तरफ तो आप बांध बनाते जाते हैं, नहरों को आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ जहां नहरें बनी हुई

हैं वहां पर किसानों को समय से पानी नहीं मिलता है। खास तौर पर हमारे माननीय मंत्री को उत्तरप्रदेश के बारे में ज्यादा अनुभव है कि जहां पर आप की नहरें हैं वहां किसानों को समय से पानी नहीं मिलता है। उस का दुष्परिणाम यह होता है कि किसानों को जो खाद्य उत्पादन में बढ़ावा मिलना चाहिये, उन को जो उत्पाद मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है। इस का हमारे अन्न के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में सिंचाई का रेट इतना बढ़ा रखा है कि कृषक उन से साम नहीं उठा पाते हैं और उस का उन की उत्पादन की क्षमता पर बरा असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश की बाबत में आपको बतलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को सन् १९५४ में सिंचाई की दरों में ३ आने प्रति रुपये की छूट दी थी लेकिन वह अब छूट उन्होंने वापिस कर ली है। अब इस के लिये हमारे केन्द्रीय मंत्री महोदय कह सकते हैं कि यह हमारा काम नहीं है यह तो राज्य सरकारों का अपना विषय है लेकिन मेरा उन से निवेदन है कि चाहे वह राज्य सरकारों का विषय हो अथवा केन्द्रीय सरकार का विषय हो, राज्य सरकार की योजना हो अथवा वह केन्द्रीय सरकार की योजना हो, यह देखना आप का फर्ज हो जाता है कि जिस किसान को आप अधिक अन्न उपजाओ के वास्ते प्रोत्साहन देना चाहते हैं उस को इन में लाभ हो रहा है कि नहीं और आज किसान क्यों असन्तुष्ट और नाराज है इस के बारे में उन्हें देखना चाहिये। जाहिर है कि यदि कोई राज्य सरकार अपने राजस्व की आय को बढ़ाने के लिये दी गई किसानों की राहत को छीन ले तो उन में इस को लेकर भारी सन्तोष उत्पन्न होता स्वाभाविक है। जाहिर है कि सिंचाई का रेट बढ़ जाने से उत्पादन में घटका लगता है। किसानों में ज्यादा अनाज पैदा करने के लिये उत्पाद नहीं होता। अब अगर राज्य सरकार को अपनी राजस्व आय में मचमुच कमी अनुभव

होती हो तो फिर केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि जितना घाटा उस को पड़ रहा है उस को उतना अनुदान दे कर उस की प्रति कर दे लेकिन यह सिंचाई का रेट किसी भी दशा में नहीं बढ़ना चाहिये। किसी भी राज्य सरकार को अपने वहां सिंचाई का रेट बढ़ाना नहीं चाहिये वरना उस का खाद्य उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

भालड़ा नांगल बांध से जो नहरें निकाली हैं और जिन जिन क्षेत्रों में से हो कर यह गई हैं उन क्षेत्रों में आप ने विकास कर के नाम पर करोड़ों रुपये का टैक्स किसानों पर लगा रखा है। अब किसानों पर यह बोझा लादने के लिये तर्क यह दिया जाता है कि जहां बड़ी बड़ी योजनाएँ हैं, जूकि पैसे का अभाव है इसलिये हम जिन क्षेत्रों में विकास कार्य कर रहे हैं वहां के किसानों से यह विकास कर ले रहे हैं और वह इसलिये ले रहे हैं कि किसान आगे बढ़े। मैं तो कहूंगा कि यह उन का तर्क थोथा है। आखिरकार अंग्रेजों के जमाने में भी नहरें खुदती थीं और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कभी इस तरह का विकास कर वहां के किसानों से वसूल किया? अब अगर अंग्रेज लोग इस वास्ते किसानों से पैसा नहीं ले सकते थे तो फिर यह सरकार जोंकि जनता की सरकार होने का दावा करती है और रात दिन विकास का काम करने का दावा कर रही है वह कैसे किसानों से यह पैसा ले सकती है आज हाजिर यह है कि गरीबी निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। किसानों के पास पैसा नहीं है। उन में देने की क्षमता नहीं है। आप विकास के नाम पर करोड़ों रुपये लेते जा रहे हैं। यह बड़ी दूषित और घातक नीति है और इस को त्याग देना चाहिये।

इस के साथ ही साथ मैं सिंचाई के बारे में आप से यह कहना चाहूंगा कि आप को लघु सिंचाई योजनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिये। कई माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर आप का ध्यान आकर्षित किया है कि अब समय आ गया है जब आप को खास

## [श्री जगदीश अबस्थी]

तौर पर छोटी मोटी योजनाओं पर, मध्य श्रेणी की योजनाओं पर ध्यान देना चाहिये। आप के यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि यह विषय तो प्रान्तीय सरकारों का है और उस में केन्द्रीय सरकार दखल नहीं दे सकती है। केन्द्रीय सरकार को विशेष कर के लघु सिंचाई योजनाओं पर अपना ध्यान देना चाहिये।

इसी के साथ साथ मैं जल निकास की व्यवस्था के बारे में यह कहना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर कि बरसात का पानी आ कर रुक जाता है और जिस के कि कारण खेती को नुकसान पहुंचता है। हजारों एकड़ भूमि जलप्लावित हो जाती है और आने जाने के साधन रुक जाया करते हैं। उस के सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ने इस के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार का जो धन दिया है वह इतना कम है कि सरकार इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिन जिलों में पैसा देना चाहती है, वह नहीं दे पा रही है। इस सम्बन्ध में मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कानपुर जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा और प्रमुख जिला है, पिछले दस वर्षों में कोई जल-निकास योजना लागू नहीं की गई है। हर वर्ष हजारों एकड़ भूमि में पानी भर जाता है और तबाही मच जाती है, लेकिन फिर भी उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं ने मुना है कि प्रान्तीय सरकार करीब डेढ़ लाख रुपये उस जिले को देने वाली है। वहाँ की १६ जल-निकास योजनाएँ हैं। इस बात की आवश्यकता है कि वहाँ के लिये अधिक पैसा दिया जाय और जल-निकास योजना को विकसित किया जाये।

वहाँ जो नहरें बनी हुई हैं, उन का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। हम देखते हैं कि उन के किनारे नोना ऊपर आ जाता है, जिस से अच्छी भूमि खराब हो जाती है

और उत्पादन के योग्य नहीं रहती है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसी नहरों का सर्वेक्षण करायें, जो कि बहुत जरूरी है, और इस सम्बन्ध में आवश्यक पग उठाने की व्यवस्था करें।

अन्त में मैं विद्युत के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। वहाँ रिहंद और माताटीला डैम, ये दो योजनाएँ हैं। रिहंद डैम के विषय में यहाँ कई बार चर्चा हो चुकी है कि वहाँ से जो बिजली दी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को उस का बड़ा हिस्सा मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों को कम मिल रहा है। माताटीला बांध अविकसित दशा में पड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि सरकार को इन दोनों बांधों की तरफ ध्यान देना चाहिये। हम देखते हैं कि मारे देश में जो विद्युत शक्ति का उत्पादन हो रहा है, उस के वितरण में प्राथमिकता बड़े बड़े उद्योगों को दी गई है और ग्रामों की बहुत अपेक्षा की गई है, जहाँ उद्योग-बंध खल सकते हैं और ट्यूबवेल लग सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि देश की जन-संख्या का अधिक भाग गांवों में बसता है, इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना में वहाँ विद्युत शक्ति पहुंचाई जाये और छोटे छोटे उद्योग-बंधों को विकसित किया जाये, ताकि देश खाद्य के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में एक साथ प्रगति कर सके।

श्री रंगाराव (करीम नगर) : मि० स्पीकर, सर, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं इन्तदाअन इरिगेशन मिनिस्ट्री को मुबारकबाद देना हूँ कि उन्होंने ने इंदम वाटर का जो झगड़ा पाकिस्तान और हिन्दु-स्तान में पिछले दस साल से चल रहा था, उस का तमफिया कराया और हमारे एक बहुत बड़े इलाके राजस्थान की सैराबी के काम का आगाज किया।

मुल्क की जरई और सनअती तरक्की की जरूरत के मद्देनजर इस मंत्रालय को जिस कदम भी अहमियत दी जाये, उस के लिये जितनी भी रकम मंजूर की जाये, वह कम है, क्योंकि गल्ले के ज्यादा पैदा करने का इन्हिसार पानी मुहैया करने पर है। इस में कोई शक नहीं कि खाद और अच्छे तुखम की जरूरत है, लेकिन खाद और अच्छा तुखम भी, तावक्ताकि पानी काफ़ी और बरवक्त न हो, अपना फ़ायदा नहीं बता सकते। इस तरह सनअत की तरक्की पावर के बग़ैर नहीं हो सकती है।

इस मंत्रालय ने बहुत काबिल इंजीनियरों को सी० पी० डब्ल्यू० डी० में ला कर उन के फ़र्मी मशविरों से काबिल-सतायश काम किया है।

इस मिलमिले में इस मंत्रालय की रिपोर्ट को पढ़ने से जाहिर होता है कि इस मंत्रालय ने कितना काम किया है, कितने बड़े बड़े प्राजेक्टस बनाये हैं और कितना रकबा सैराबी में लाया है। इस का नतीजा यह है कि जहां सदियों में बनाये हुए प्राजेक्टस से सिर्फ़ २२ मिलियन एकड़ जमीन सैराब होती थी, वहां सिर्फ़ दस साल में १४ मिलियन एकड़ जमीन की सैराबी का पोर्टेशियल तैयार किया। इस पर यह तनकीद की जाती है कि इतना रकबा सैराबी ही कहां आया। इस की जिम्मेदारी इस मंत्रालय पर डालना गलती है, क्योंकि इस मंत्रालय ने अब प्राजेक्टस के साथ साथ केनाल्स बनाने का प्रोग्राम भी लिया है।

इस रिपोर्ट को पढ़ने से जाहिर है कि यह मंत्रालय न सिर्फ़ प्राजेक्टस के प्लान की तनकीद और उन को पास करने का काम करता है, बल्कि वह हर वक्त प्राजेक्टस की बनकीद और हर मुनाफ़िब मौके पर उन की लागत में क़िफ़ायत करने का भी मशविरा देता रहता है। उस ने बड़ी बड़ी मशीनों को अइ डल न रहने दे कर बलिहाब जरूरत एक जगह में दूसरी जगह भेजने का जो इन्त-

जाम किया है, उस से काम में बहुत सहुलियत होती है और साथ ही फ़ारेन एक्सचेंज की बहुत बचत होती है।

इस में कोई शक नहीं कि हमारे देश में काफ़ी काबल सिविल इंजीनियर्स हैं और उन का काम भी काबिले-सतायश रहा है। उस ने बड़े बड़े प्राजेक्टस के प्लान तैयार किये और बनाये, लेकिन इलैक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े प्लान्टस के इरैक्शन और बड़ी बड़ी स्कीमें बनाने के मामले में ग़ैर-मुमालिक के इंजीनियरों के मोहताज रहे। इस कमी को दूर करने के लिये आरगनाइजेशन की मंजूरी और उन लोगों को बाहर भेज कर उन को ट्रेनिंग देने का जो फ़ैमला किया है, वह काबिले-मुबारक-बाद है। मुल्क की बढ़ती हुई जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हमेशा बाहर के इंजीनियर्स के मोहताज रहना ग़लत है। इस तरीके से काफ़ी फ़ारेन एक्सचेंज की बचत होगी।

इस अहम और भारी काम को देख कर जहां एक तरफ़ बहुत खुशी होती है, वहां दूसरी तरफ़ मेरे हलाने और खसूमन मेरी कान्ट्रीटयुएन्सी की तरफ़ जो इनडिफ़रेंस बरती जा रही है, उसकी बहुत बड़ी शिकायत है। आन्ध्र गवर्नमेंट ने एक छोटी सी स्कीम भेजी है, जिसका नाम पांचमपाड मीडियम साइज प्राजेक्ट है। उस को भेजे हुए दो साल का अरमा हो गया है, लेकिन अभी तक उसकी मंजूरी नहीं की गई है। चूंकि मैंने इस मिलमिले में इनडिफ़रेंस का इल्जाम लगाया है, इसलिए इस बात का तफ़सील से बयान करना लाजिमी हो जाता है।

तेलंगाना मुआमी तौर पर एक पस्त हलाका है। चुनावे स्टेटम री-आर्गनाइजेशन कमीशन ने इस हलाका को पांच साल तक



## [श्री रंगाराव]

एक अलाहिदा स्टेट रहने और इस अरसे में इसको काफी तरक्की देकर उसके बाद आन्ध्र प्रदेश बनाने की राय दी थी, लेकिन हुकूमत और इस आनरेबल हाउस ने इस इलाके की तरक्की में मदद देने का वादा करके उसी वक्त आन्ध्र प्रदेश बनाने का तफसिया किया और उस इलाके के लोगों को यह यकीन दिलाया कि एक रीजनल कमेटी बनाई जायगी और उस कमेटी को तेलंगाना की तरक्की के मुताल्लिक सोचने और काम करने के अधिकार देने का फ़सला किया। लेकिन इस वादे की पाबन्दी कितनी की जा रही है और इस कमेटी को कितनी इज्जत दी जा रही है, यह देखने से अफ़ग़ीब होता है।

इस रीजनल कमेटी ने इस इलाका की तरक्की के लिये गोदावरी प्राजेक्ट जल्द-अज-जल्द बनाने के बारे में रेजोल्यूशन पास किया। इस पर आन्ध्र गवर्नमेंट ने काफी हमदर्दी से और किया, लेकिन उसने इस प्राजेक्ट के लिये रुपया न होने और सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्यादा रकम का मुतालबा करना नामुनासिब समझ कर एक मीडियम-साइज प्राजेक्ट का प्लान बना कर भेजा। लेकिन इस मंत्रालय की इन्डिफ़रेंस और इस हुकूमत की वादा भूलने की बात को देखिए कि वह इस प्लान की जांच करने और उसे पास करने में लेतो-लाल करता रहा और बाद में वह जवाब दिया कि यह सेकंड प्लान में धरीक नहीं है, इसलिये इनकी जांच नहीं की गई और मंजूरी नहीं दी गई। मैं अपने आन्ध्र भाइयों का मशकूर हूँ कि उन्होंने भी इसकी अहमियत पर जोर दिया और हाउस में बोलने, मिनिस्टर और प्लानिंग कमीशन के पास आने में साथ दिया। लेकिन कुछ हासिल न हो सका। आखिर मजबूरन हमारे महबूब लीडर के पास नुमायंदगी की गई, तो उन्होंने हमदर्दी से बात सुनी और इसकी अहमियत को समझ कर इसके मुताल्लिक

तसफ़िया करने की प्लानिंग कमीशन को सिफ़ारिश करवाई। इस सब का नतीजा क्या हुआ? सिर्फ़ प्लान की जांच की गई और उसको टेकिनकली मंजूर किया गया।

अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि प्लानिंग कमीशन न मालूम क्यों हम से नाराज़ है। उसने छ्वाह-म-ह्वाह इसमें ऐसी पेचीदगी पैदा की कि इसको कहीं आगे बढ़ने नहीं दिया। चुनावों के बम्बई, मैसूर, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के एतराजात का सवाल उठाया। मैं प्लानिंग कमीशन और मंत्रालय से पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा की कौन सी नदी इस पोचमपाड के साइट अपपर बेसिन में है, जो उनको एतराज हो।

अब बम्बई और मैसूर का सवाल रह जाता है। आपसे मख़फ़ी नहीं है कि १९५१ के प्लानिंग कमीशन के एवार्ड के लिहाज से इन प्रोजेक्ट को पानी मिल सकता है। अगर यह भी एतराज हो कि स्टेट्स री-आर्गनाइजेशन की बिना पर हैदराबाद के पांच अज़ला बम्बई और तीन अज़ला मैसूर रियासत में गये हैं और री-एलोकेशन की ज़रूरत है, तो आप जरा इधर भी ध्यान दीजिये कि जी० एन० सी० प्राजेक्ट की मंजूरी पहले प्लान में हो चुकी है और आज हमका जी० एस० सी० के लिये इससे ज्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है।

दूसरी बात मैं यह अज़ करना चाहता हूँ कि पोचमपाड साइट पर टोटल डिपेंडेंस यील्ड ५६० टी० एम० सी० है। इस में से बम्बई और मैसूर के जो प्रोजेक्ट शुरू किये गये हैं और आयन्दा बनाने का इमकान उन्होंने जाहिर किया है, उस के लिहाज से उनको २६० टी० एम० सी० की ज़रूरत है। फिर भी ३०० टी० एम० सी० बच रहता है। ऐसी सूरत में सिर्फ़ ६६ टी० एम० सी० के प्रोजेक्ट की इजाजत देने में क्या अग्र माना है?

आप यह फरमाते हैं कि मुत्सला स्टेट्स में खुशफहमी हो, दोस्तों के लिये पहले पानी का तस्फिया होना अच्छा है। हम भी किसी से लड़ना नहीं चाहते। किसी का हक खेना नहीं चाहत। हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं। लेकिन इस दो साल में जिस तरह काम हुआ है वह देख कर मायूसी होती है। इस प्लान को भेजे हुए दो साल का अर्सा हुआ। एक साल तक इसको टेकनिकल जांच में रखा। मुसलसल तवज्जह दिलाने पर जांच हुई और जब यह टैक्नीकली कामयाब साबित हुई तो अब पानी के तस्फिये का सवाल आया। आपके सी० डब्ल्यू० पी० सी० ने फरवरी, १९६० में रिआर्गेनाइजेशन के लिहाज से किस स्टेट को क्या पानी मिलना है इसका हिसाब कर दिया और स्टेट्स को इत्तला किया, जिस को अब १४ माह का अर्सा हुआ। इसके बाद पूर्व में आपने जुमला स्टेट्स को इत्तला दी कि दूसरे और तीसरे प्लान की प्रोजेक्ट्स को इस अलाटमेंट के लिहाज से जांचा जायेगा। इसको लिखे हुए भी दस माह का अर्सा हुआ। इसके बाद स्टेट्स मिनिस्टर्स की कॉन्फरेस बुलाये हुए भी छः माह का अर्सा हुआ। इस अर्से के बाद भी तस्फिया नहीं हुआ तो कब तस्फिया होगा। और तीसरे प्लान में कब शरीक हो सकता है, मसझ से बाहर है।

खुसुसन स्टेट्स मिनिस्टर्स की कॉन्फरेस में बम्बई गवर्नमेंट की बात सुन कर ताज्जुब होता है कि कृष्णा नदी से उनको ज्यादा पानी की जरूरत है। आन्ध्र को कम पड़ता है तो गोदावरी का पानी कृष्णा के डेल्टा में दे दिया जाय। जब गोदावरी में तेलंगाना के लिये ६६ टी० एम० मी० पानी नहीं मिल सकता है तो कृष्णा डेल्टा को पानी कहां से बचेगा? गरज यह सब देखने के बाद मालूम होता है कि सिवा हमारी स्कीम को डाले रखने के और कोई मतलब नहीं है।

मैं आनरेबल मिनिस्टर से यह इत्तला करता हूँ कि हमको किसी स्टेट से लड़ना नहीं है। बाद में भी जो तस्फिया होगा,

ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी धकीन दिलाता चाहता हूँ कि कई साल हमको टी० एम० सी० ६६ से ज्यादा पानी मिल सकता है। इसलिये आप मेहरबानी करमा कर इसको कृष्णा वाटर के साथ न मिलायें और फौरी इस स्कीम की मंजूरी दें और तीसरे प्लान में शरीक करें। मुझको है कि आप यह सब सुन कर फरमायेंगे कि रुपयों की गुंजाइश नहीं है। इस किस्म का ऐतराज करना रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के उमूल को अपनाये हुए तेलंगाना को जल्द अज जल्द प्रान्ध के साथ लाने के वादे के खिलाफ है जो हकूमत के लिये शायाने गान नहीं है। इस सिलसिले में मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि तेलंगाना की फी एम्ड आमदनी ६५ रु० पर कपिटा इनकम १०० रु० से ज्यादा नहीं है, जब हिन्दुस्तान की औमत आमदनी २७० रु० है और यह पांच साल में ३०० रु० के ऊपर होगी तो आप मुलाहजा फगमाइये कि फी कस आमदनी में कितना रुकें होगा। और यह भी बयान करना बेमहल न होगा कि तेलंगाना का बजट खसरा न होने के बावजूद गुजिस्ता पांच साल में तेलंगाना को डेवेलप कराने की उम्मीद दिला कर जमीन पर जायद महसूल आयद और वमूल किये गये हैं, और यह जायद वसूलगुदा रकम ६ करोड़ रु० तेलंगाना पर खर्च नहीं हुए। इसलिए आप का फर्ज है कि प्रोजेक्ट को मंजूर करें और तीसरे प्लान में शरीक करके कुछ रकम मुहैया करे और स्टेट गवर्नमेंट को यह मध्वरा दें कि वह इस प्रोजेक्ट को तीसरे प्लान में मुकम्मिल करे।

पावर के मुतात्सिक दो बातें बोल कर मैं आपन बयान खत्म करना चाहता हूँ। तेलंगाना में पावर कम है और ११०० मबाजात में मिनजुम्ला सिर्फ ५०० मबाजात को इलेक्ट्रिफिटी दी गई है। इलेक्ट्रिफिटी को बढ़ाने की मकत जरूरत है। यह सुन कर

### [श्री रंगाराव]

खुशी हुई कि रामगुंडम थर्मल पावर के एकन-टेशन की स्कीम मंजूर की गई है। लेकिन इस मिलविले में मैं निफ यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे पाल जेनरेटर्स के लिहाज से व्वायलर्स नहीं हैं। इस तरफ स्टेट गवर्नमेंट ने दो साल कबल तबज्जह दिलाई और चन्द लाख रुपये फारेन एक्स्चेंज के बारे में पछ्छा। आपने कोशिश करके इस को नहीं दिलाया। अब आप तबज्जह फरमा कर तीसरे प्लान के पहले साल इसको मुहैया फरमाइये वरना तीसरे प्लान के खतम होने पर अगर दिजायेगे तो आइंश पांच साल तक रूरल एलेक्ट्रिकिशन के लिए एलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी।

**Shri Basappa (Tiptur):** The inter-State river water disputes are assuming very large proportions and hence at the outset I would request the hon. Minister to give his best and earnest attention for solving this problem. I have been listening to the debate on the Demands of this Ministry and I have noticed that Member after Member, particularly from Andhra, has referred to these inter-State river water disputes. It may be the Godavari or the Krishna river. Shri Ranga, when he raised this question, was speaking of the riparian rights of the States at the lower level, but others may speak of the riparian rights of the States in the upper region. The hon. Member, Shri Rami Reddy, also raised this question and today Dr. Atchamamba also raised this question. Therefore it looks as if certain projects are obstructed and so on. It must therefore be made clear to all that the projects are not going to be stopped. At the same time I must emphasise, with all the little emphasis at my command, that justice should be done to all the regions in the river basin.

Before I say a few words on this I must congratulate the Ministry for the steps they are taking in this direction. I would not hesitate to say that

this Ministry has done a lot for the development of this country. If at all there is any one Ministry which has left a great impression on this country, it is the Irrigation and Power Ministry. Previous speakers have paid glowing tributes to it already. Even Dr. Atchamamba said that this Ministry is the life-line, Shri Karni Singhji said that it is the back-bone of development, and even Shri Ranga had a good word to say, namely, that it is one of the brighter sides of this Government. Of course, he wanted the Ministry to come with greater imagination and to have a master plan. I would agree with him in that respect.

After Independence we have so many power projects. It is a good augury for the development of our country. But one thing that pains me is the question of development of irrigation and power in the new State of Karnataka. Of course, the old Mysore State was really a little advanced. Mysore was known for its pioneering work in the field of irrigation as well as power. Probably the first power project was in 1902, the Sivasamudram project.

**Shri Siddiah (Mysore—Reserved—Sch. Castes):** Why 'probably'? It is a fact.

**Shri Basappa:** Even though Mysore was the pioneer in this field, is it not a sorry state of affairs to see that Mysore has remained backward both in power and irrigation today? And what is the reason for all this? There are projects to be taken up in the Third Plan, the Malaprabha project, the Kampadaguda project, the Upper Krishna project, the Haranji project. I hope the hon. Minister will give his earnest attention to these projects. It is unfortunate that sanction was delayed for the Malaprabha project. Even with regard to the power project, Sharawati is very well known, and our Minister himself said just now that it has potentiality of nearly a million kilo watts. And I hope to see the day when that is achieved.

There is a lot of power shortage both in Mysore and other States and therefore this project should be given the highest priority and taken up. Of course, the first stage, when completed, will give about 1,78,000 kilo watts or so. But the other stages should also be thought of even at this stage. Besides, there is the aluminium factory to come up and also the fertilizer factory which might require about 2,10,000 and odd kilo watts.

My friend, Shri Achar was telling me about the Kalinadi and Banapali projects, that they will yield a lot of power and, therefore, these things should be attended to.

I was telling that it is very unfortunate that these river water disputes are taking this shape in this country. It is not good. How these disputes arose; why these disputes arose? These must be coolly and calmly thought over and decided.

Who is obstructing these projects? It is not the intention of anybody to obstruct any project. We want the River Development Boards. When a dispute has arisen it is our duty to solve it. The States of Orissa, your own State, the State of Maharashtra, and the States of Mysore and Andhra are the States which are in the disputes. Without obstructing the projects the question must be solved. How these river water disputes are creating great havoc can be realised from the statements issued now and then by both the Andhra P.W.D. Minister and the Mysore P.W.D. Minister and by Shri Chavan and others. Therefore, it is but natural that we should give more attention to this.

The most important point is that they say that there is an agreement of 1951. I want to know whether this agreement of 1951 is legally justified or even morally justified. After all, when we want to share the river waters there must be some principle on which the whole thing should be decided. There are various States in

the river basin. The area to be irrigated, the needs of that area, the population that lives there and the scarcity conditions of India are the principles to be applied and adhered to. Were these principles adhered to at the time of the so-called 1951 agreement? I say with all the emphasis at my command that the 1951 conference was a conference to settle only a few projects and was not meant to allocate the waters of the rivers to the States. So, all these things were not taken into consideration at that time. The time has now arisen to go into these matters on moral and legal grounds and have them set right.

Who has ratified this agreement? The Mysore Government which took part in it—I am sorry Shri K. C. Reddy is not here today—has not accepted this. He had not ratified it. He was not a party to that. They called him for a conference, because Mysore was interested, to come and discuss it; but his consent was not necessary whereas the consent of the other States was necessary. What was the real purpose of that conference? It was not to allocate waters of the rivers. It was for a different purpose. On the second day they sat and wanted to settle these things.

I want to refer to one of the speeches made by Shri N. V. Gadgil. He drew attention to the extremely backward condition of certain districts of Bombay State, Poona, Sholapur, Bijapur etc. He said, the development of these regions depended on the availability of power and irrigation and should have high priority. Then, a second time when he took part he said that the proportions for the Krishna waters worked out on the previous day were not equitable as they would prejudice the development of the economically backward areas he mentioned and these areas were entitled to a larger share. Shri K. C. Reddy also took part in it and he did not accept this at all. Shri Chavan whose State was also supposed

[Shri Basappa]

So, both on moral and on legal grounds this agreement cannot hold good. Therefore, justice should be done.

Here, the whole unfortunate thing is that the complainant is made the defendant and the defendant is placed in the position of the complainant. Nobody is against the development of Nagarjunasagar or any other project. We want a rightful share from the Krishna waters. It is a national project. It is the great pride of all the people of India. Let it go on. At the same time, let justice be done. If one area develops other areas also develop. Should we not, at the same time, think of a socialist pattern of society in this country and should we not plan for that? If there is a scarcity area and water resources are available should that not be developed as against one area alone? This is what I want to say. From this point of view I feel that justice should be done.

My friends referred to political influence and pulls. I would also refer to that. After all some people may have influence and pull. But full justice alone can bring peace and happiness to the country.

**Mr. Chairman:** Shri Bishwanath Roy. After him I will call Shri Sinhasan Singh.

**Shri M. B. Thakore:** Sir, nobody has spoken from our State.

**Mr. Chairman:** I am sorry; I have to call the hon. Minister at 2.55.

**श्री बि.बनाध राय (सलेमपुर) :**  
माननीय सभापति जी, आपको धन्यवाद है इस बात के लिए कि वर्षों बाद पहली बार मुझे इस डिमांड पर बोलने का अवसर मिला है।

भारत आज भी कृषिप्रधान देश है। यहां की कुल जनता में से ७५ प्रतिशत से भी

अधिक लोग आज भी खेती पर निर्भर करते हैं। हमारी जन संख्या तो बढ़ कर पीने ४४ करोड़ तक पहुंच गयी है। अन्न की समस्या अब भी जटिल है यद्यपि देखने के लिए साल बड़े साल से सुधार मालूम हो रहा है। इस राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए जहां अन्य बहुत सी बातें हैं उनमें एक विशेष बात यह है कि देश में सिंचाई की सुविधाएं तेजी से बढ़ायी जाएं। वह भी इस तरह से नहीं जिस तरह से और प्लान का काम चलता है। यह जो हमारी राष्ट्रीय समस्या है उसको हल करने वाली जो सबसे प्रमुख सुविधा है उस पर हमारी योजना कमीशन का उतना ध्यान नहीं जाता है जितना व्यवसाय और उद्योग धन्वों को बढ़ाने पर जाता है। देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग धन्वों को तो बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन इस समय जो हमको करोड़ों रुपए का अन्न हर साल बाहर से मंगाना पड़ता है उसको रोकने के लिए और अन्न के मामले में आत्म-निर्भर होने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे देश में जो नदियों के रूप में इतने प्राकृतिक साधन हैं उनके पानी का पूरा पूरा उपयोग किया जाए।

कुछ वर्ष पहले इस बात पर सरकार का ध्यान गया था कि इस देश के अन्दर जो इतनी नदियां हैं उनसे लाभ उठाने के लिए हमको योजनाएं बनानी चाहिएं। और उन योजनाओं के अनुसार हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जहां तक उत्तर भारत की बात है, विशेषतः जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है वहां अभी तक यह नहीं मालूम होता है कि नदियों के पानी के उपयोग के बारे में कोई योजना बनी भी है या नहीं। हमारे प्रदेश में, और केवल हमारे प्रदेश में ही नहीं, बिहार और बंगाल में बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनके नाम सारे देश में प्रसिद्ध हैं लेकिन इन का नियंत्रण न होने से बाढ़ के कारण इस प्रदेश को बड़ी हानि होती है। इन नदियों में एक नदी घाघरा है, जो कि एक बड़ी नदी है लेकिन इसके जल का उपयोग करने का अभी तक कोई विचार नहीं

किया गया है। यह नदी इतनी बड़ी है कि गोदावरी या कृष्णा आदि से इसके अन्दर कहीं अधिक जल है। यह उत्तर प्रदेश के ६ जिलों में से और बिहार के एक जिले में से हो कर बहती है। इसके कारण एक तरफ बाढ़ आती है और दूसरी तरफ कृषि की पैदावार की हानि होती है हमें तो यह जान पड़ता है कि जो नदियों के बारे में योजना की बात थी वह जहाँ की तहाँ रह गयी और उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया।

अगर सारे देश की नदियों से विद्युत शक्ति प्राप्त की जाए तो यह अन्दाजा है कि ४५० लाख किलोवाट बिजली पैदा हो सकती है, लेकिन सारे देश की बात को छोड़िए। अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ जाएं तो देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत कमी है और दूसरी योजना के अन्त में भी जो अन्दाजा है उसके अनुसार देश में उत्तर प्रदेश तीसरे चौथे नम्बर पर रहेगा। दूसरी योजना के अन्त तक पश्चिमी बंगाल में ४२३-०, बिहार में ५४१-५, महाराष्ट्र, में ७८८-५ मैगावाट बिजली पैदा करने की शक्ति होगी जब कि उत्तर प्रदेश के अन्दर ४२३-० ही पैदा होगी।

इसी तरह से हमारे प्रदेश में विद्युत शक्ति के साथ साथ सिंचाई की सुविधाओं की भी कमी है। सिंचाई की जो सुविधाएं और साधन हमारे पास हैं उनका पूरा उपयोग भी नहीं हो रहा है।

गंडक योजना के बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि यह भारत की अन्य बड़ी बड़ी योजनाओं में सब से कम खर्च वाली है। इस गंडक योजना से ३४ से ३८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। उससे काफी मात्रा में बिजली उत्पन्न होगी और बिहार और उत्तर प्रदेश को काफी लाभ होगा। लेकिन पहलू का विषय है कि उस

बोजना की तरफ अभी तक, उपेक्षा तो नहीं कह सकता लेकिन उस के बारे में सक्रियता नहीं रही है। अवश्य ही नेपाल सरकार से समझौता होने में देर होने के कारण इतनी देरी हुई है लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कि समझौता होने के बाद भी उबर काम धीरे धीरे चल रहा है और अब तक जो कंसट्रक्शन की बात है वह शुरू नहीं हुआ है न जाने काम कब होगा इस साल होगा या अगले साल। बहरहाल जब भी हो उसके होने से केवल सिंचाई की ही व्यवस्था नहीं होगी अपितु विद्युत का उत्पादन भी होगा गांवों को हम बिजली मुलभ कर सकेंगे। गांवों के अलावा जो चीनी के हमारे बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं वे आत्मनिर्भर हो जायेंगे और आत्मनिर्भर होने के अलावा वह विदेशों में अपनी चीनी का निर्यात करने के योग्य बन सकते हैं। जिन जिलों के घासपास से इस योजना द्वारा नहर या बिजली की लाइन जायेगी, वह इलाका ऐसा है जिसमें कुन भारत की लगभग आधी चीनी मिलें हैं और जहाँ कि चीनी का उत्पादन ५० प्रतिशत से भी कुछ अधिक होता है। हमारी समस्या यह है कि भारत में निर्मित चीनी शूकि महंगी पड़ती है इसलिए अपनी चीनी हम विदेशों में भेज नहीं सकते। इसलिए हमारे दो करोड़ किसानों की जो गन्ने की खती करते हैं समस्या घाजकन बहुत कठिन और जटिल हो गई है क्योंकि उनकी यह समस्या है कि अपनी चीनी का कैसे खपाया जाय। यह योजना पूरी होने से उनकी समस्या मुलभ सकती है और वह उद्योग आत्मनिर्भर हो सकता है। बिजली तथा सिंचाई के साधन गांवों में अधिक प्राप्त करके हमारी राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हैं। उसके द्वारा जो उत्तरी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की घनी आबादी तथा गरीबी की जटिल समस्या मौजूद है उसको हम हल कर सकते हैं। अतः इस गंडक योजना के सम्बन्ध में मैं सरकार में विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ कि उनके प्रति वह उतनी ही सक्रिय हो और उतनी ही जागरूक हो जितनी कि वह राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में है।

[ श्री विश्वनाथ राय ]

राजस्थान कैनल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ पहले ६६ करोड़ रुपये से ३६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की योजना थी वहाँ उसके लिए अब २०० करोड़ रुपये की मांग हो रही है। २०० करोड़ रुपया हो तो राजस्थान की वह कैनल योजना पूरी तरह सफल होगी। उसके मुकाबले में हमारे यहाँ गंडक योजना द्वारा ५२ करोड़ रुपये से ३८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। आप अब स्वयं अंदाजा कर सकते हैं कि राजस्थान कैनल की तुलना में इस गंडक योजना को क्या महत्व दिया जा रहा है।

हमारी नदियों के जल का जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, आपकी ही रिपोर्ट के अनुसार केवल २६ प्रतिशत उपयोग हम इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कर पायेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में ३५-६ प्रतिशत पानी का उपयोग हो सकेगा इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि नदियों के सम्बन्ध में वह विशेष ध्यान दे जो ईश्वरीय या प्राकृतिक साधन भारत को मिले हुए हैं उनका पूरा पूरा उपयोग करे। ऐसा करने से अन्न की हमारी राष्ट्रीय समस्या हल हो सकती है। भारत में जिस लोकतंत्री समाजवादी ढाँचे को स्थापित करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं उसमें बिजली और सिंचाई योजना हमारी बड़ी सहायता करेगी। हम अपनी नदियों का सदुपयोग करके गरीबों के जीवनस्तर को ऊँचा कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में जो योजनाएँ चल रही हैं जाहिर है कि हम उनसे सिंचाई के सम्बन्ध में आगे बढ़ें हैं। लेकिन एक बात अवश्य है। कई जगह ऐसा देखा गया कि योजनाएँ आपकी चनी, छोटे मोटे ट्यूबवेल्स लगाते गये और नहरे भी बनाते गये लेकिन ट्यूबवेल्स की नालियाँ जो खेतों में पानी पहुँचाने का साधन है, अधूरी रह गयीं। यह प्लानिंग में एक त्रुटि है। कि नालियाँ और चैनल्स नहीं बन पाती हैं और इसलिए उनका पानी खेतों तक नहीं पहुँच पाता है। इस तरीके से जो आपके आंकड़े होते हैं जो

आपका एस्टिमेट होता है वह पूरा नहीं हो पाता है। ट्यूबवेल्स बनते जरूर हैं लेकिन उनसे ऐक्चुएल इरिगेशन नहीं हो पाता है। उसकी प्लानिंग में डिफेक्ट होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कोई प्राजेक्ट हो, ट्यूबवेल हो जब उसका काम शुरू हो तो उस के साथ ही साथ चैनल्स और डिस्ट्रिब्यूटरीज वर्गरेह की भी कार्यवाही होनी चाहिए। इसलिए जो आप सिंचाई की तृतीय योजना शुरू कर रहे हैं उसमें इन बातों का पूरा पूरा ध्यान रखें। ऐसा करने से आप अपनी सिंचाई की योजना से उतना लाभ उठा सकेंगे जितना आप किताबों में तैयार करते हैं अन्यथा आपकी योजनाएँ ज्यों की त्यों ही रहेगी और १०० प्रतिशत लाभ होने के स्थान पर केवल ४० या ५० प्रतिशत लाभ ही हो पायेगा। हमारी पिछली सिंचाई योजनाओं में हमें पूरी कामयाबी नहीं मिली उससे हमें सबक लेना चाहिए और इस बार किसी तरह की लापरवाही नहीं बर्तनी चाहिए।

अन्त में मैं रिहैन्ड डेम की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यह योजना आज से १०-११ वर्ष पहले शुरू थी और आज भी वह ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। यह रिहैन्ड डेम की योजना थोड़ा ही आगे बढ़ी है। अब गुना है कि उसमें कुछ देर हो रही है करीबसाल भर की देर हो रही है। मैं जानना चाहूँगा कि इस योजना में इतनी देरी क्यों की जा रही है? मैं चाहता हूँ कि इस योजना को पूरा करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों की गरीबी दूर करने का अवश्य प्रयत्न करे।

**श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर):** सभापति महोदय, मेरे पूर्व उत्तर प्रदेश के भाई बोले हैं और मैं भी इस अवसर पर कुछ उत्तर प्रदेश तथा गोरखपुर के सम्बन्ध में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम है जब कि उसका भूभाग भारत के कुल भूभाग का १०वाँ हिस्सा है। जनसंख्या की

दृष्टि से कुल भारतवर्ष की आबादी का छटवां हिस्सा है। इस सदन में इसका कई बार जिक्र आया है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल घनी आबादी और कमी का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की औसत आबादी ६५० व्यक्ति प्रति वर्गमील है जब कि पूर्वी क्षेत्रों की आबादी हजार व्यक्ति प्रति वर्गमील से ऊपर है। गोरखपुर और पूर्वांचल में औसत आबादी १०० व्यक्ति प्रतिवर्ग मील है। कुल उत्तर प्रदेश की आबादी की एक तिहाई आबादी उधर है। इन इलाकों में हर साल राप्ती और घाघरा में बाढ़ें आया करती हैं जिनके कारण बहुत तबाही होती है। दूसरे इलाकों में तो बाढ़ कभी कभी ही आती है लेकिन वहां पर तो हर साल बाढ़ें आती रहती हैं। उसके लिए कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है। उसके लिए अगली पंचवर्षीय योजना में १७ करोड़ रुपये का आयोजन है। यह १७ करोड़ रुपया बिजली और सिंचाई दोनों के वास्ते है। अब कितना भाग एक में जायेगा और कितना भाग दूसरे में जायेगा यह तो बाद को मालूम होगा लेकिन इस सम्बन्ध में मैं दो एक बातें आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं।

हमारे देश में अभी भी खाद्य की समस्या जटिल बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में अभी कल एक अखबार में यह खबर निकली थी कि वहां पर खाद्यान्न की पैदावार पहले से कम हुई है। लक्ष्य में यह कमी काश्तकारों की खामी के कारण नहीं रही है बल्कि डरूका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे वहां पानी की दर लगाती है वह अधिक है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इन दो हिस्सों में पानी की दर अलग अलग है। अब उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो कि सब से कमी का क्षेत्र है और गरीबी का क्षेत्र है वहां सिंचाई की दर ऊंची है और पश्चिमी हिस्सा जो कि घनी क्षेत्र है वहां पानी की दर अपेक्षाकृत नीची है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही सरकार की तरफ से जो दर है बिजली और नहरी पानी की उसमें अन्तर है। उसमें अब तक

कोई नेशनलाइजेशन नहीं हुआ। आपके प्रतिवेदन में लिखा हुआ है कि कृषि और छोटे छोटे उद्योगों के लिये बिजली की दर बहुत कम है।

“...the rates for agricultural purposes and small scale industries are already much lower than the rates for domestic consumption in all the States, the question of rationalising such rates is being looked into by the Ministry.”

अभी तीन या चार रोज हुए इसी सदन में डिप्टी मिनिस्टर ने जवाब दिया था कि नेशनलाइजेशन शायद चौथे प्लान में हो तो हो। अभी दक्षिण में ग्रिड सिस्टम करके उसे शुरू कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन्त्री महोदय जब बिजली का बिल लाये थे तो उन्होंने कहा था कि हम हर जगह ग्रिड सिस्टम करके एक रेट पर बिजली देगे। अभी मध्य प्रदेश की कुछ बिजली की चम्बल योजनायें निकली हैं। उनके लिये अखबार में निकला है कि वहां पर बिजली का रेट क्या होगा। उनकी बिजली का रेट होने जा रहा है। ११.५ नये पैसे छोटे उद्योगों और कृषि के लिये ६ से ११ नये पैसे वाटर पम्पस वगैरह के लिये। लेकिन हमारे यहां पूर्वी आंचल में बिजली का जो रेट है वह खेती के लिये साढ़े तीन घाना है। वह कब कम होगा? आज जब हमारी अन्न की पैदावार कम हो रही है तब हमगे साढ़े तीन घाना यूनिट बिजली का चार्ज हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बाहर से बिजली बहुत कम जाती है। लेकिन आपने कुछ पम्पस वगैरह लगा कर बिजली का रेट साढ़े तीन घाना कर दिया है जबकि छोटे छोटे कार्यों के लिये और पम्पस के लिये २३ नये पैसे हैं, और उसके पड़ोस में ही मध्य प्रदेश में इसके लिये ६ से ११ नये पैसे का रेट है। हमारे उत्तर प्रदेश में न जाने नेशनलाइजेशन कब होगा। वहां इस बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। और चीजों को छोड़ कर मैं मन्त्री



[श्री सिंहासनसिंह]

महोदय से चाहूंगा कि वे इस बारे में घोषणा करें कि आप क्नी जो योजना है उत्तर प्रदेश के बारे में कब प्रारम्भ होगी। बड़ी खुशी की बात है, और मैं आप को इसके लिये मुबारकबाद देता हूँ, जि जैसा आपके प्रतिवेदन मालूम होता है, सन् १९४७ में आपकी रिहन्द योजना प्रारम्भ हुई थी और जून के महीने में उससे कुछ बिजली बनाई जा रही है। वहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है और अगले दिसम्बर तक शायद वहाँ पर ५०० हाइड्रल प्लान्ट लग जायेंगे और ढाई लाख किलोवाट बिजली देने लगेंगे। माननीय मन्त्री जी को शायद मालूम होगा कि जब यह योजना रिहन्द डैम की शुरू हुई थी, तो वह केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के उत्थान के लिये प्रारम्भ की गई थी, लेकिन बीच में आप आ धमके और एक बहुत बड़े कारखाने में अल्युमीनियम बनाने के लिये उससे बिजली ली जा रही है। कहा गया था कि बिजली की कमी को पूरा करने के लिये मोगलसराय में एक थर्मल प्लान्ट बनेगा। लेकिन इस प्रतिवेदन में उसका कोई जिक्र नहीं है। आपने अभी कहा है कि बिजली आप औरों को भी देंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश को देंगे, और वह जून तक मिलेगी। लेकिन उसका रेट क्या होगा, उसका भार लोगों पर कितना पड़ेगा, यह हमें मालूम नहीं। वह ७ या ८ नये पैसे रहेगा या साढ़े तीन आना, जो कि हम आज दे रहे हैं, वही रहेगा। और वह साढ़े तीन आने रहेगा तो न वह हमें पानी दे सकेगा खेती के लिये और न हम कोई रोजगार ही कर सकेंगे। इसलिये मैं चाहता हूँ, कि, जैसा आप कह रहे हैं जून तक बिजली मिलने वाली है, उसके पहले रेट की घोषणा हो ताकि लोग बिजली ले सकें। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में जो हमारा पूर्वी अंचल है वह बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहता है। उसमें अगर आप बिजली दे सकें तो हम पम्पिंग सेट वगैरह लगा कर बाढ़ आने के पहले फसल पैदा कर सकते हैं। लेकिन वह

तभी हो सकता है जब बिजली सुलभ मिले और सस्ती मिले साथ ही हम को उसके बारे में मालूम हो जाय। अगर जून से बिजली मिलने वाली है तो अभी एलान हो जाय तो अच्छा होगा। यहाँ मैंने नहीं देखा कि बिजली के प्रसार के लिये कुछ हो रहा हो। अभी आप की रिपोर्ट में एक जगह है कि लकड़ी के खम्भों पर बिजली फैलाने की आप की योजना है, लेकिन जब हम आपके डिपार्टमेंट से कहते हैं कि बिजली फैलाने के लिये लकड़ी के खम्भे लग सकते हैं तो वह कहता है कि नहीं, १५००० लाइनों फैलाने के लिये हमें चाहिये कि हम लोहे के खम्भे बनायें। लकड़ी के खम्भों के बारे में जो प्रतिवेदन में दिया हुआ है अगर सही मानों में उस पर अमल करना है तो आप को ऐलान करना चाहिये कि हम लकड़ी के खम्भे दे रहे हैं। गोरखपुर, देवरिया और बस्ती जो जिले हैं वहाँ पर साखू की लकड़ी काफी मिलती है। साखू के बारे में कहावत है :

हजार बरस खड़ा हजार बरस पड़ा।

इस कार्य के लिये मैं साखू की लकड़ी लगा सकते हैं। इस लिये मैं चाहता हूँ कि जो कुछ आप ने रिपोर्ट में लिखा है उसे सक्रिय रूप में करें, वह कागज में ही न रहे क्योंकि हमें बिजली की जरूरत है, और अपने ट्यूबवैल वगैरह लगाने के लिये हम आसानी से उसको पाना चाहते हैं। बिजली आप देवें और खम्भे हम देते हैं। लोहे के खम्भों की इतनी प्राहिविटव कास्ट होती है कि कोई उसको लगा नहीं सकता।

अब मैं कुछ गंडक प्रोजेक्ट के बारे में भी कहना चाहता हूँ। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपने उसे लिया, लेकिन उस के अन्दर आप केवल १८,००० किलोवाट बिजली पैदा करने जा रहे हैं। रिपोर्ट में लिखते हैं कि बिजली फैलाई जायेगी नेपाल में। बिजली नेपाल में फैलाई जाये, लेकिन यहाँ १८,००० किलोवाट ही नहीं, हम उससे कई लाख किलोवाट बिजली बना सकते हैं। इतनी बड़ी नदी है, अगर आप इस को बांध रहे हैं तो क्यों नहीं

बिहार और उत्तर प्रदेश को बिजली देते, जिसमें यह लगाया जा रहा है। १८,००० किलोवाट बिजली जो आप बना रहे हैं वह आप नेपाल को दे देंगे। नेपाल को दीजिये, ठीक है, उसमें हमारा विरोध नहीं है, लेकिन वह बिजली हमें भी मिलनी चाहिये। रिहन्द डैम से बिजली लाने के बजाये अगर यहाँ से आप दे सके तो अच्छा होगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ रावरी और घाघरा के बारे में। यह दो नदियाँ रिपोर्ट में कहां हैं? फ्लड कंट्रोल वाले भादमी भी यहां बैठें होंगे, उनसे पूछिये। फ्लड के बारे में उत्तर प्रदेश में कई बार कहा गया कि फ्लड्स को रोकना नहीं जा सकता जब तक उद्गम पर रोक न हो। उद्गम वह स्थान है जहां से नदी निकलती है। इन नदियों का उद्गम नेपाल में है और हमारे यहां हर साल बाढ़ आती है। जैसे गंडक के बारे में आयोजन करके आपने इतना किया अगर उसी तरह से आप यहां करें, तो मैं अनुरोध करके कहना चाहता हूँ कि शायद नेपाल गवर्नमेंट को इस में कोई ऐतराज नहीं होगा कि आप राप्ती और घाघरा पर बांध बांधें। अगर आप घाघरा पर बांध बना दें तो उससे आप कई गुना बिजली पैदा कर सकते हैं और उससे बाढ़ का मसला भी हल हो सकता है नदियों के किनारे बांध बनाने से कोई मसला हल नहीं हो सकता। हमारे मन्त्री महोदय शायद इस के बारे में कुछ बतलायेंगे आपने एक कमेटी बाढ़ों के आयोजन के लिये सन् १९३८ में बिठलाई थी। उसने सन् १९४७ में अपनी रिपोर्ट दी कि नदियों के किनारे बांध बांधने से कोई मसला हल नहीं होता। जांच रिपोर्ट आई कि बांध बनने से कोई मसला हल नहीं होता लेकिन उसके बाद बांध बनना शुरू हो गया।

एक बात और है कि गांवों को ऊंचा किया जा रहा है। ७००० गांवों को ऊंचा करने की बात है। इसके सम्बन्ध में मेरा एक

सुझाव है। जितने गांवों को ऊंचा करने की बात कही जाती है, अगर उन को जाकर देखा जाये तो आप को पता चलेगा कि गांव ऊंचे नहीं किये गये हैं, घर ऊंचे किये गये हैं। यह काम आयोजना से नहीं हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आप इतने गांवों को ऊंचा करना चाहते हैं लेकिन कई गांवों में तो मिट्टी भी नहीं पड़ी। बिल पास हो गया और रुपया चला गया। यह हमारे गांवों की हालत है। कई घर ऊंचे हुए, लेकिन हुआ कुछ नहीं।

श्री अब्दुल लतीफ (बिजनौर) : प्राबादी भी बढ़ गई है।

[बांसी भी बड़े कूँ ५ -]

श्री सिंहासन सिंह : आप करें, लेकिन इसके लिये योजना बनाये और गांव को समूल ऊंचा करें, एक ङग से ऊंचा करें। आपने कुछ मकानों को ऊंचा किया, मगर नतीजा क्या हुआ है? पानी घुस जाता है बीच से। अभी राप्ती की बाढ़ में कई घर गिर गये। ऊंचे से पानी गिरा और घरों के नीचे होने के कारण व नष्ट हो गये।

15 hrs.

[Mr. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

आप गांवों को ऊंचा करके चारों तरफ उसके तालाब बनायें तब आप का काम चल सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप जो काम करें उसे योजना से करें। इधर उधर कहीं कहीं जमीन को ऊंचा कर देने से काम नहीं चलेगा।

15 hrs.

सिंघाई और बिद्यत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्नारी) : जनाब डिप्टी स्पीकर, मैंने परसों और आज इस एवान में जो मुबाहिसा मेरी मिनिस्ट्री के मुनाल्लिक हुआ उसको मुना। जो उसका अगर मेरे दिमाग पर

[ हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ]

पर हुआ मैं पहले उसको गुजारिश कर देना चाहता हूँ। मेरे दिमाग पर यह असर हुआ कि मेम्बरान को, जिसको कि अंग्रेजी में एप्रेशि एशन कहते हैं, पसन्दीदगी है उस कामका जो काम कि यह मिनिस्ट्री इस मुल्क के अन्दर कर रही है। मैं उसके लिए मशकूर भी हूँ और मेरे भाई ने परसों शुक्रिया भी अदा किया था मगर इसी के साथ-साथ मैं यह अज्र करूँगा कि जो कुछ इस मिनिस्ट्री में हो रहा है, मैं यह नहीं चाहता हूँ कि वह उसी हद तक रहे बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि वह उससे और आगे बढ़े और अधिक तरक्की हो। मैं तो चाहूँगा कि उससे भी ज्यादा काम हो और उसके जरिए से जितनी खिदमत इस वक्त हा रही है उसी वक्त के अन्दर और ज्यादा खिदमत इस मुल्क की इन मिनिस्ट्री के जरिए में हो। जो खिदमत उसके मुपुद हैं वह वाकई मानों में ऐसी हैं कि वह जिन्दगी की सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं। इंसान का उनसे वास्ता है और अगर वह काम इस मुल्क के अन्दर या किसी जगह भी बिगड़ जाय तो वहाँ की सोसाइटी का अपनी उसी हालत में रहना किसी तरीके से मुमकिन नहीं हो सकता है। इस अहमियत को इस मिनिस्ट्री को समझना है और इसको समझ कर इंसानियत की खिदमत करनी है। अपने मुल्क की खिदमत अपना फर्ज समझ कर करते हैं, नौकर की हैसियत से नहीं करते हैं। इस मुल्क की खिदमत एक हिन्दुस्तानी की हैसियत से करते हैं एक नौकर की हैसियत से नहीं करते हैं। मैं खुशी के साथ अज्र करूँगा कि मुझ को अपने तजुर्वे से यह साबित हुआ कि मेरे भाई जो कि इस मिनिस्ट्री के अन्दर खिदमत कर रहे हैं उनमें इसी किस्म का अहसास मौजूद है और मैं उस अहसास में और तरक्की चाहता हूँ और यह चाहूँगा कि अब से ज्यादा जल्दी और अब से ज्यादा अच्छा काम हो।

अब इसी के साथ यह भी है कि सब तरफ से जिस वक्त तकरीर होती है तो उनको सुन कर नतीजा जो दिमाग निकालता है वह यह

निकालता है कि शायद यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ के मुबाहिसे का जो नतीजा निकलेगा वह यही निकलेगा कि शायद यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। मैं यह सोचता हूँ कि हर इंसान अगर और कहीं का नहीं तो खुद अपने घर का तो तजुर्बा रखता ही है और वह अपने मन में सोचे कि वह अपने घर के लिये क्या करता है। मैं और आप सोच इस बात को कि हम अपने घरों के वास्ते क्या करते हैं। कितनी आप से गफलतें होती हैं और कितनी आप में कमजोरियाँ होती हैं? कितनी फरमाइश आपके दामादों, बीवियों और बेटे बेटियों की होती हैं और उनमें से कितनी को आप पूरा कर देते हैं और कितनी को पूरा नहीं कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि उससे आप बखूबी अन्दाजा लगा सकते हैं कि जब एक घर के बारे में यह हालत है तो यह तो पूरे हिन्दुस्तान के घर का इन्तजाम जिनके मुपुद है उनके इन्तजाम में अगर कोई कमी रहती है तो वह कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिये। अब जिनके कि मुपुद पूरे हिन्दुस्तान का इन्तजाम है वह भी तो हमारे जैसे इंसान ही हैं कोई सुपर ह्यूमन थोड़े ही हैं कि पलक झपकाते सब काम हो जाय। उनमें भी हमेशा इंसानी कमजोरियाँ पाई जायेगी। मैं यह नहीं कहता कि मुझ को उससे बरी होना चाहिये या मेरे ऊपर ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने उभर नुक्ताचीनी सुन कर खूश होता हूँ और मैं तो उसको इस नजर से सुनता हूँ कि मैं उससे सबक हासिल करूँ और उसके जरिये से जो कुछ खिदमत मैं अपने मुल्क की कर सकता हूँ वह अजाम दूँ। लेकिन मैं एक तबदीली चाहता हूँ इस प्वाएंट आफ व्यू में जिस प्वाएंट आफ व्यू से यहाँ पर बहस मुबाहिसा किया जाता है। हमें यह समझ कर बहस करनी चाहिये कि क्या मुमकिन है और क्या मुमकिन नहीं है और उसको ध्यान में रखते हुए बात कही जावे और नुक्ताचीनी की जाये।

अभी मेरे भाई श्री सिंहासन उत्तर प्रदेश के मताल्लिक फरमा रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश

का हूँ और उस खिदमत का भी कसूरवार हूँ जो कि मैंने सन् १९३७ से लेकर सन् १९५८ की फरवरी तक इस काम के मुताल्लिक की हो। उस सब का मैं जिम्मेदार हूँ और जितना इल्जाम उसके मुताल्लिक किसी को दिया जा सकता है, मैं आज वह कहना चाहता हूँ कि मैं खुशी के साथ उन तमाम इल्जामों को छोड़ने के वास्ते तैयार हूँ। मुझे उस में कोई ऐतराज नहीं। मैं यह भी भ्रज करूँ कि मेरे भाई ने जो कुछ कहा उस प्वाएंट ग्राफ व्यू से और उस मुतमये नजर से मुझ को बिल्कुल इतिफाक है। मैं चाहता हूँ कि कल का होता हुआ भ्राज हो जाय। मेरे दिल में भी यह स्वाहिश होती है कि मैं कल के बजाये उस काम को भ्राज कर सकूँ। यह तो एक नेचुरल फितरती बात है। इसान की नेचर है कि वह अपने लिए जल्द बेहतरी चाहता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इंसान के काबू के बाहर की होती हैं। वह पैदा होती हैं और वह रास्ते में तमाम रुकावटें पैदा करती हैं। किसी चीज में देर करती हैं तो किसी चीज को नामुमकिन बना देती हैं। हम कबे इस जिन्दगी के भन्दर बराबर इसका सज्जुर्बा होता है।

अब रिहैण्ड डैम के बारे में यह फरमाया कि उसकी बिजली बयों बनी। गांव वालों को देने के लिये वह बनाई गई और वह बिजली मिल गई एक बड़ी फॅक्टरी को.....

**एक माननीय सदस्य : बिड़ला को दी गयी।**

**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** चलिबे बिड़ला ही मही। और कोई भी हो इस से कोई सरोकार नहीं आखिर सब हिन्दुस्तानी हैं और बराबर हैं और हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अपने दोस्त को यकीन दिलाना चाहता हूँ मैं उस काम को देख कर आया हूँ और मैं उन को कहना चाहता हूँ कि उस रकबे में जिस रकबे में रिहैण्ड डैम की बिजली पाने

वाली थी जो अभी तक आई नहीं है, जब भी वह आयेगी तो गांवों को बिजली देने का पूरा पूरा ख्याल रक्खा जायेगा। मेरे दोस्त को मालूम है कि वहां उत्तर प्रदेश में मैं ने पावर स्टेशंस बनवा कर आया हूँ। मुहम्मद में पावर स्टेशन का एक्सटेंशन किया उस को डबल किया, मऊ में पावर स्टेशन बनाया और गोरखपुर में पावर स्टेशन बनाया। उस एरिया में अगर मेरा हाफिज गलती नहीं करता तो मैं ने करीब ३००० ट्यूबवैल्स वहां पर लगाये हुए हैं। यह भी कसूर मुझ से हुआ था। ३००० ट्यूबवैल्स को चलाने के वास्ते बिजली वहां दी गई। वहां के गांवों में बिजली दी। मैं यह नहीं कहता कि हर एक गांव में बिजली पहुंच गई है लेकिन यह वाक्या है कि बिजली गांवों में भी पहुंची और पहरों में भी पहुंची और उम के जरिय से ट्यूबवैल्स भी चले। अब रिहैण्ड डैम बन जायेगा। इस रिहैण्ड डैम की बिजली के लिये यह कहना कि वह सारी बिजली किसी बड़ी कम्पनी को दी गई है मही नहीं है। ढाई लाख किलोवाट बिजली का वहां पर जनरेशन होगा अब उम में से ५० या ६० हजार किलोवाट बिजली किसी बड़ी कम्पनी को भी दी गई तो भी उस का बहुत सा हिस्सा अभी बाकी रहता है और वह उम एरिया में तकसीम होगा। वह बाकी तमाम बिजली आखिर उन्हीं गांवों को तो जायेगी। अब मैं यह कहूँ कि मैं उम बिजली को भ्राघ्र प्रदेश में या और कहीं भेज दूँ तो यह तो होने वाला नहीं है। इसलिये इस में घबड़ाने की कोई बात नहीं है। वह बाकी तमाम बिजली उन्हीं को मिलने वाली है उस में कोई बेसबरी हो, यह ठीक नहीं है यह गलत खबरों की बिना पर तबियतों में गलतफहमियां हों, तो उन गलतफहमियों को जगह नहीं देनी चाहिए। यह बात मुल्क के लिये बड़ी खतरनाक है। अब एक एम० एल० ए० या एक एम० पी० की जबान से, या मेरी जबान से—मैं भी एक एम० पी० हूँ—सोग मायूसी की बातें सुनेंगे, तो देश में डीजनी-रेशन पैदा होगा, महज इस लिये कि इब्राहीम

### [हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

ने, या किसी और एम० पी० ने, इस के मुताल्लिक कोई बात कह दी। इस लिये उसको छठाना नहीं चाहिये, उस में जाना नहीं चाहिये। वह मुल्क के लिये खतरनाक है। रिहैन्ड डैम से यू० पी० की जो खिदमत होनी है, वह जरूर होगी। उस से जो मरूमूद था, वह पूरा होगा। इस में कोई खतरा नहीं है।

हमारे एक भाई न कहा कि तखमीने बदलते रहते हैं—शुरू में जो तखमीना बनाते हैं, अगले स्टेज पर चल कर वह गलत हो जाता है और उस से अगले स्टेज पर और गलत हो जाता है और उस में बढ़ोतरी होती रहती है। यह वाक्य है। मैं मानता हूँ इस बात को और यह भी बतलाता हूँ कि यह बात जा नहीं सकती है, यह बात रहेगी। अगर सही रास्ता तखमीने के मुताल्लिक रखना है, तो यह बात जा नहीं सकती। यह शिकायत है कि भाखरा डैम का इनना तखमीना था, पहले, फिर वह बदल गया, फिर और ज्यादा हो गया और अब १७५ करोड़ पय हो गया। सही है, हो गया। लेकिन जब हम अग्रे को चलते हैं, तो कुछ तबदीलियाँ लाजिमी हैं; एक बात और है एक नजर से, एक एरिया के तमाम हालात के मुताबिक, उस के मुताल्लिक जो तजुर्बा हुआ हो, उस को मद्नजर रख कर एक बिजली के पावर हाउस का एक अन्दाजा लगाया गया और सब कुछ उस वक्त तय कर दिया गया, लेकिन जब नई बातें शुरू होंगी, नये हालात पैदा होंगे, नई जरूरतें पैदा होंगी, तो फिर उस लिहाज से काम करना होगा। इंजीनियरों न भाखरा डैम के बारे में एक इन्तदाई तखमीना बनाया, लेकिन बाद में कुछ वजहों की बिना पर उस में तबदीली करनी पड़ी। उस के मुताल्लिक मेरे पास एक एक साल की पूरी तफसील है, लेकिन धन की कमी की वजह से उस को पढ़ता नहीं हूँ। जिस साहब को देखना हो, वह मेरे पास आ कर देख ले। उस में इतनी भाकूल वजह दी हुई है हर साल के मुताल्लिक कि क्यों इस साल बढ़यतरी हुई है।

एक दोस्त ने फरमाया कि कैनाल वाटर ट्रीटी के मुताबिक ट्रांजीशन पीरियड में जो पानी दिया जा रहा है, उस की वजह से जब को पानी नहीं मिला। लेकिन मुझे उल्टी खबर है। बड़े ताज्जुब की बात है कि उल्टी खबर है कि इस साल ज्यादा मिला है बनस्विट पहले के। मेरे पास इस के बारे में फिगर्स मौजूद हैं, तफसील मौजूद है। मालूम नहीं कहां से यह खबर आ गई। इस साल एमा नहीं हुआ है और अगले साल भी एसा नहीं होने वाला है। उस का कोई वजूद नहीं है।

मैं थोड़ी सी बात कृष्णा गोदावरी के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूँ। कृष्णा और गोदावरी के दरियाओं के नाम हैं और उन के पानी में कुछ स्टेट्स इन्स्टेड हैं, जो उनसे पानी लेन वाली हैं। एक दफा १९५१ में यहाँ एक कमेटी में कुछ तय हुआ था। उस में कुछ स्टेट्स थीं और कुछ नहीं थीं। उन में जो फँसला हुआ था, यह तय हुआ कि वह कायम रहे और उस पर अमल हो। जो स्टेट्स उन में नहीं थीं, जिन को कुछ नुकसान रहा है, उन्होंने उन को दूसरी नजर से देखा है। एक मीटिंग हुई। यह मेरा कुसूर था। मैं ने मीटिंग की थी। कुसूर मैं न इसलिये अर्ज किया कि मैं चाहता था कुछ और और हुआ कुछ और। मैं न यह समझ कर मीटिंग बुलाई थी कि मामला तय हो जायगा, लेकिन उल्टा हो गया।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आनरेबल मिनिस्टर जब एक तरफ ध्यान देते हैं, तो दूसरी तरफ वालों को शिकायत होती है। अगर वह मेरी तरफ देखते रहें, तो ठीक होगा।

**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** बहुत मुनासिब है।

**Shri Goray (Poona):** I would like to say that these are very serious issues and we want to know what the views of the Central Government are?

**Mr. Deputy-Speaker:** Hon. Members also should continue to remain serious and listen in patience. I have already apprehended Members while that concentration was taking place.

**Shri Nath Pal (Rajapur):** There is a kind of *mushaira* going on. Is this a debating Parliament or a private kind of *mushaira* with Members nodding their heads?

**Shri Ram Krishan Gupta:** The word *mushaira* is objectionable.

**Shri Nath Pal:** You are making it a *mushaira*.

**Shri Bishwanath Roy (Salempur):** He is replying to the points raised by us.

**हाकिम मुहम्मद इब्राहीम :** उस कमेटी में तो कुछ फमला नहीं हुआ। उस के बाद हम को यह ख्याल हुआ कि हम अलाहिदा अलाहिदा गुफतगू करें। चुनांचे मैं, डिप्टी मिनिस्टर साहब और सैक्रेटरी साहब सब जगह गये और वहां हम न गुफतगू की। उस गुफतगू के नतीज में सब न हम को इजाजत दी है कि हम इस सिलसिले में तजवीज करें और उस को बैठ कर आपस में तय कर लें। यह तय हो गया है। मरे ख्याल में इस स्टज पर और ज्यादा कहना कोई मुनासिब बात नहीं होगी। इसलिये मैं और ज्यादा कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह कहूंगा कि मुझ को बहुत उम्मीद पैदा हो गई है कि वह मामला बिल्कुल आपस में मुलामा लिया जायगा, तय हो जायेगा।

एक किस्सा दिल्ली का भी मुना। पंजाब में इन नं० ८ की जानिब रोहतक में पलड प्राया था और रोहतक वालों को बड़ी तकलीफ हुई। तो रोहतक को बचाने के लिये पंजाब अपनी तरफ से काम कर के एक ब्रेन बना रहा है। उस इन के मुताल्लिक दिल्ली के आदमियों को कुछ थर ख्याल हुआ कि उस मुकाम से—उस मुकाम को मैं यहां तो नहीं समझा सकता, नकल पर समझा सकता हूँ—कहीं दिल्ली में पानी का पैसेज किया जाये,

तो दिल्ली को डुबाने का मौका हो जायेगा। यह बात गलत है। वह साहब एम० १० भी हैं। उन्होंने मुझ से फरमाया था। मैं और डिप्टी मिनिस्टर साहब वहां उस एरिया को देखने गये और फिर चंडीगढ़ में दोनों तरफ के इंजीनियर्स के साथ और हमारे प्लानिंग कमीशन के मेम्बर, खोसला साहब, को शरीक कर के मीटिंग हुई। उन्होंने न नकशे में एक जगह बताई थी कि दोनों तरफ के इंजीनियर उस को देख लें। वहां और खुदाई हो जायगी, तो दिल्ली महफूज हो जायगी। इस के मुताल्लिक यह तय हुआ, और होनाही चाहिये, और जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब न भी इस बात पर अपनी पूरी हमदर्दी जाहिर की, कि एसी कोई बात नहीं होनी चाहिये जिस से दिल्ली को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे, और साथियों को भी न हो। निहाजा इस का इन्तजाम हो रहा है कि दिल्ली इससे बचा रहे और उसे किसी किस्म की तकलीफ न हो।

राजस्थान कानाल की लाइनिंग और नैवी-गशन का मवाल उठा। जहां तक उस की लाइनिंग का ताल्लुक है, लाइनिंग उस की शुरू भी हो गई है और हो रही है, लेकिन जहां तक नैवीगशन का ताल्लुक है, उस की निस्बत अभी कोई मुकम्मिल राय नहीं कराया पाई गई है कि बाकई उस में नैवीगेशन किया जायेगा। शायद बहतर हो कि मैं इस की तकलीफ न करूं क्योंकि अभी वह मसला जेरे गौर है, जिसे कहते हैं कि ग्रन्डर कमिश्नरेशन है। इस के बाद मुमकिन है कि इस फैसले पर पहुंचा जाय कि किया जाये, और मुमकिन है कि इस फैसले पर पहुंचा जाय कि न किया जाये। इस के बारे में कुछ कहना कम्ल अज वकत है। जो सवाल यहां उठा उस के बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, बह जेरेगौर है आज तक उस पर गौर हो रहा है, और जब वह फैसला हो जायेगा तो आप की खिदमत में अज कस्मात।

### [हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

डी० वी० सी० के हेडक्वार्टर्स की माईथान को कलकत्ता से शिफ्टिंग के बारे में भी कहा गया। उस की निस्वत मैं ने अपने भाई की तकरीर में सुना कि वह एक गलत काम है कि उसे वहां से उठा कर भेज दिया जाये दूसरी जगह। डी० वी० सी० के सभी दफ्तर कलकत्ते में वाक्या हैं सिवा उन छोटे दफ्तरों के जिन की उसी जगह पर जरूरत है। उन का सेन्ट्रल आफिस कलकत्ता में है। अब क्या यह हो रहा है कि कलकत्ते से उसे उठा कर माईथान मुकाम को भेज दिया जाये, जो कि बिहार में एक जगह है। इस के मुतालिक मेरे भाई फरमाते थे कि क्या वजह है इस की और इस से कुछ फायदा नहीं। उन का कहना था कि इस से सिवा मुकाम के और कुछ नहीं होगा। मैं यहां पर उस वक्त था नहीं, जिस वक्त वे यह फरमा रहे थे। लेकिन जिस वक्त मैं ने उसे देखा तो मुझे मानून हुआ कि फायदा तो उस से बहुत है, और वह फायदा क्या है, वह मैं अर्ज करूँ। शायद इस वक्त ४०,००० या कुछ एमी ही रकम है जो कि सालाना फिरेय के मिलमिले में दी जा रही है, उन इमारतों के लिये जिन में वह है। उस के अलावा जितने सरकारी मुलाजिम वहां पर जाते हैं, पोस्ट होते हैं, उन को उन की तन्स्वाह के अलावा ऊपर से भत्ता दिया जाता है, वह भी खर्च होता है। तो यह ७ लाख रु० का सालाना खर्च महज दफ्तर के ऊपर होता है, इस वजह से कि इमारत अपनी नहीं है। इसलिये इमारत दूसरी जगह बना कर उस को वहां ले जाना, इस में मैं ने समझा कि कोई नामाकूल बात नहीं है। लेकिन मैं अपने भाई को यह मौका देता हूँ कि अगर वह चाहे तो मुझ से इस बात पर फोई गुप्तगू कर लें। मैं जाती तौर पर इसे फिर से समझने और अपनी राय पलटने के लिये भी तैयार हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं इस को समझूँ जरूर।

अब एक सवाल यहां यह हुआ था उस रोज, कि कलकत्ते में जो पावर हाउस है

कलकत्ता एलेक्ट्रिक सप्लाई का, उस में कुछ खराबी आ गई। उस की वजह से उन का जेनरेशन कम हो गया। जिस वक्त इसकी निस्वत सवाव उठा था उस वक्त कुछ मैं ने अर्ज किया था। लेकिन उस की निस्वत इस वक्त फिर कहा गया कि वहां कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरी जो इत्तला है वह यह है कि वहां पर बहुत कुछ किया गया। मैं ने उस वक्त भी कह दिया था कि चाहे पावर हाउस को नुक्सान हुआ हो, लेकिन किसी कंज्यूमर को कोई नुक्सान नहीं हो रहा है। जितनी बिजली जलाने वालों को मिल रही थी, उतनी उन को मिल रही है।

एक मानीय सवस्य : मगर इंडस्ट्रीज को ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : इंडस्ट्रीज का जिक्र नहीं है।

श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा) : बहुत इस्ट्रीज को शाम को ५ से १० बजे तक सप्लाई बन्द हो गई या कम कर दी गई है, जिस की वजह से बहुत सी मिलों को अपनी शिफ्ट बन्द कर देनी पड़ी।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैं अर्ज तो कर रहा हूँ कि मेरे पास इस तरह की इत्तला नहीं है, और मेरी इत्तला का जो सोर्स है हो सकता है वह सोर्स टेकनिकली और किसी की इत्तला के मुकाबले में मेरे नजदीक ज्यादा काबिले तबार हो सकता है। यह मत समझिये कि यह मैं कोई ग्राप के खिलाफ कह रहा हूँ ? यह मेरा मतलब नहीं है। बल्कि मतलब यह है कि गवर्नमेंट बँठी है, गवर्नमेंट को सब खबर है। गवर्नमेंट को सरकारी मुलाजिम खबर देते हैं जा कर। उन के पास से सारी खबर आती है। दूसरी बात यह है कि उस दिन मैं ने बतलाया था कि डी० वी० सी० उन को अपने यहां से बिजली देता

है और जो कमी थी उस वक्त उस के लिये वह तीन चार दिन के अन्दर बिजली दे रहा है उसी पावर हाउस को। इस तरीके से मेरे नजदीक वहाँ की पब्लिक को किसी किसम की तकलीफ हो नहीं रही है। और जो शार्टेज होगी वह पूरी करनी है डी० वी० सी० से। वहाँ से बिजली जा रही है और आगे भी जायेगी, इसलिये इस के लिये फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।

इस के बाद मैं कुछ रूलज एपेक्ट्रिफिकेशन के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। गांवों को जो बिजली जाती है उस के मतालिक मैं कुछ बतलाऊँ आप को उस के पहले मैं बिजली की कीमत के मतालिक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। एक बात साफ है और उस में कोई एहन बात नहीं हो सकता है कि जैसे पानी की जरूरत है, अनाज की जरूरत है, वैसे ही बिजली की जरूरत है। वैसे ही बिजली की जरूरत आज साम्राज्य के अन्दर पैदा हो गई है, और जिन को जरूरतियते जिन्दगी कहा जाता है, जाँकि अनप्रवायडेबल हैं, उन में से यह एक चीज बन गई है। उस का होना हमारे दर्भान बहुत जरूरी है, और उसी के साथ साथ यह भी कि वह कम से कम कीमत में सब को मिलनी चाहिये। मैं इस का तरफदार हूँ। मैं आप से अर्ज करूँ कि जो मेरे भाई तशरीफ रखते हैं उन का मालूम है सब कुछ। ऐप्रिक्लचर के लिये ५० पी० में जो बिजली देनी है उस की वह कीमत पूछ रहे थे। कीमत तो मेरे पास लिखी हुई भी होगी। लेकिन मैं एक खास बात उस की निस्बत अर्ज करूँ कि ऐप्रिक्लचर को कम कीमत पर बिजली देने की वजह से ५० पी० हर साल २ करोड़ रुपये का टोटा उठाता है। अगर उन लोगों से पूरी कीमत वसूल की जाये तो २ करोड़ ६०, जो हमने टैक्स लगाये हैं वह न लगाना पड़ता। या २ करोड़ ६० और किसी काम आ जाता। पोसीशन तो यह है कि बिजली की कीमत कम हो, लेकिन कैसे कम हो? इस का एक सवाल है। आज कल हिन्दुस्तान में दो

सप्लायस हैं। एक तरफ बो खुद गवर्नमेंट हैं और एक तरफ लाइसेंसीज हैं। लाइसेंसी जो होगा जाहिर है कि वह अपनी रोजी कमाने के वास्ते बिजली बनायेगा। अब उस के लिये हम यह रिस्ट्रिक्ट कर दें कि वह इतनी दर पर ही बिजली बेचे तो यह उस के साथ सही मायनों में ईसाफ नहीं होगा। अलबत्ता हमारा ध्यान इस बात के लिये है कि बिजली सस्ती लोगों को मिले और इस के लिये जो कानून इस वक्त बिजली का रायज है उस के अन्दर हम ने बिजली बेचने वालों पर कंट्रोल लगाया हुआ है। उस के अन्दर लाइसेंसी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड शामिल हैं और हम ने बाँधन लगाई हुई है कि वह इस से ज्यादा कीमत बिजली की नहीं लेसकेंगे। हम ने बिजली के बेचने में उन का मुनाफा मकरंर कर दिया है। उस एक के अन्दर बमुजिब बिजली का रेट उस से ज्यादा नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट को इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि अगर कोई शक्स इस किसम की दरखास्त दे कि उसे मंहंगी दर पर बिजली मिली है तो सरकार उस की दरखास्त पर मुनवाई कर के जरूरी कदम उठा सकती है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुझे इस किसम की दरखास्तें दीं और मैं ने उस के ऊपर एक कमेटी बैठाई और उस को जांच करवाया। यह सारी मिनस्ट्री उस की कीमत कंट्रोल करने के लिये आप के यहां मौजूद है। फिर भी एक बात माननी पड़ेगी और वह यह कि बिजली बनाई जाये उस के ऊपर जितना खर्चा हो उस खर्च को वसूल किया जाये और उस के ऊपर कुछ और वसूल किया जाये बतौर मुनाफे के क्योंकि आखिर बिजली से रोजी भी तो उन्हें कमाना है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और लाइसेंसी को रखेंगे तो उन के लिये यह करना जरूरी होगा। अब मेरी समझ में तो बिजली की दर में कमी करना मुमकिन नहीं है लेकिन थोड़ी दर के लिये फर्ज कीजिये कि अगर मुमकिन हो तो आप मुझ को हटा दें लाइसेंसी को भी मौकूफ कर दें और जो



## [हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आप ने कायम कर रक्खा है उस को भी मौकूफ कर दें और डायरेक्ट यह बिजली का काम गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले तो भी एग्रीकल्चर और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के वास्ते जब तक सबसिडी नहीं दी जायगी उस वक्त तक बिजली की कीमत कभी घट नहीं सकती है। आज भी हर एक स्टेट में एग्रीकल्चर और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये बमुकाबले डोमेस्टिक यूज के और बड़ी इंडस्ट्रीज के, बिजली की दर कम है गो ज्यादा है और मैं उसे मानता हूँ कि जो कम है वह भी ज्यादा है और उस को और भी ज्यादा घटाया जाना चाहिये। अब यह बिजली की दर घटाना मुश्किल है। मुश्किल यह है कि मैं उस के वास्ते सबसिडी दूँ और एक अरब रुपया हर साल हिन्दुस्तान में बिजली चलाने के वास्ते बाटूँ और फिर वह तमाम रुपया मैं अपने मुल्क वालों से टैक्सों की शकल में वसूल करूँ क्योंकि ऐसी तो चीज है नहीं कि हाफिज इब्राहीम का घर भरा पड़ा है जहाँ से कि रुपया मिल जायेगा। अब मैं उस के वास्ते अगर कोई टैक्सेशन के प्रपोजल ले कर आऊँ तो क्या कोई मुझे उस को चलाने देगा ? . . .

एक माननीय सदस्य : टैक्स मत लगाओ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : अब टैक्स भी मत लगाओ और वह बिजली भी सस्ती दे दो तो यह तो जभी मुमकिन था जबकि यहाँ मुल्क में बादशाहत होती। वह बादशाहत के पुराने खयालात अभी तक लोगों के दिलों से गये नहीं हैं। वह बादशाहत के खयालात अभी तक यहाँ के इंसानों में से गये नहीं हैं। एक लोकतंत्री गवर्नमेंट का तसव्वुर उन के नजदीक नहीं है। अब आज बादशाहत तो हमारे यहाँ है नहीं हमारे यहाँ तो लोक राज है। लेकिन इस से यह मतलब हरगिज न लगाया जाय कि मैं बिजली की दर घटाना नहीं चाहता। मैं खुद इस कोशिश में हूँ और

तलाश में हूँ कि बिजली सस्ती मिल सके और इस काम को करने के वास्ते एक कमेटी मैं ने बिठाई है। उन में पार्लियामेंट के मेम्बर्स भी हैं . . . . .

एक माननीय सदस्य : थोड़े हैं।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : अब ज्यादा आदमी इकट्ठा करने से काम हमेशा खराब हो जाता है भले ही आप इस को सही समझें या गलत लेकिन है यह हकीकत। हम ने अपनी समझ से ढूँढ ढूँढ कर आदमी उस में रखे हैं। दो तो मेम्बर हैं एक मैं खुद हूँ और एक मेरे डिप्टी मिनिस्टर उस में हैं। इस के अलावा पावर से ताल्लुक रखने वाले हमारे अफसरान और सेक्रेटरी साहब उस कमेटी में हैं। हम सब मिल कर उस काम को इस वक्त कर रहे हैं और इस तलाश में हैं

We are making genuine efforts in order to achieve this purpose. गायद यह मकसद पूरा हो जाय और हम इस कमेटी के जरिये समूचे देश में बिजली की रेट्स के बारे में जो एक युनिफार्मिटी पैदा करना चाहते हैं उस में हम कामयाब हो जायें। आज उत्तर प्रदेश में एक कीमत है, बिहार में दूसरी कीमत है, बंगाल में कुछ कीमत है और पंजाब में जुदा ही कीमत है। हम इन रेट्स में एक युनिफार्मिटी लाना चाहते हैं। मौजूदा हालात ऐसे हैं जिन में यह युनिफार्मिटी पैदा नहीं हो सकती है। मेरे दोस्त एक ग्रेड सिस्टम का जिक्र कर रहे थे तो मैं उन को बतलाना चाहता हूँ कि हम यह ग्रेड सिस्टम जारी कर रहे हैं। चूँकि आप ने उस की तजवीज यहाँ सुन ली है इसलिये मैं उस को अज नहीं करती हूँ। उस से एक फायदा अल्टीमेटली हो जाने की उम्मीद है कि उस के करने के बाद एक युनिफार्मिटी पैदा हो जायेगी। इस से बिजली की कीमत में युनिफार्मिटी पैदा हो सकती है। आज वह युनिफार्मिटी मौजूद नहीं है। मुश्किलों जगहों पर बिजली की मुस्तलिफ कीमतें हैं। लेकिन कमेटी इस की तलाश में है और इस

बात की कोशिश कर रही है कि एप्रीकलचर और स्मोल स्केल इंडस्ट्रीज के वास्ते बिजली की दर सस्ती की जा सके। कमेटी अपना काम कर रही है और जो नतीजा होगा वह मैं हाउस के सामने पेश करूंगा और हाउस को मैं बतलाऊंगा कि उस के मुताल्लिक क्या कुछ हो सकता है।

रूरल इलेक्ट्रिकेशन का काम हमारे यहां हो रहा है। एक बात मैं पहले कहे देता हूं कि जिस रफ्तार से वह काम हो रहा है, मालूम नहीं मेरे बाद कितनी नसलें इसानों की गुजरेंगी जब कभी आगे चल कर हिन्दुस्तान के सब गांवों में बिजली आयेगी। जहां तक उस की रफ्तार का ताल्लुक है मैं खुद मानता हूं कि वह तेज नहीं है . . .

**श्री त्यागी :** यही अफसोस है। यह तो बिजली की रफ्तार में चलनी चाहिए थी।

**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** लेकिन बिजली की रफ्तार पर चलने के वास्ते जो कुछ करना चाहिए वह मेरे भाई कल्पते नहीं हैं। मुझे बिजली की रफ्तार पर चलवा दो फिर देखना कि मैं क्या करके दिखाता हूं। मैं तो बाजीगर हूं।

पहले प्लान में रूरल इलेक्ट्रिकेशन की कमी थी। पहले प्लान के शुरू में हमारे यहां हिन्दुस्तान में २६२१ गांवों में बिजली थी। पहले प्लान के खत्म पर और जब दूसरा प्लान शुरू हुआ तो ८४८८ गांवों में बिजली हो गई। संकेंड प्लान के दौरान मैं हमने देखा कि १७१८२ गांवों में बिजली लग गई जब कि मेकेंड प्लान का टोटल १५०४६ ही था। जिस हिस्सा में यह काम हो रहा है और रिमोमेंज की एवेनेबिलिटी को देखते हुए मैं इस रफ्तार को कम नहीं समझता। अगर और बुरी नहीं समझता मैं यह नहीं चाहता कि रफ्तार बड़ी कायम

रहे। मैं रफ्तार में तेजी देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दोनों ही काम हों। रूरल इलेक्ट्रिकेशन के लिए उपादा रुपया लगे। उसी के साथ साथ मैं यह भी चाहूंगा कि यह एप्रीकलचर और स्मोल स्केल इंडस्ट्रीज के वास्ते बिजली के रेट में कमी हो। यह दोनों काम साथ साथ होने चाहिए और हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं।

**Shri Muhammed Elias rose—**

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Minister has advised the hon. Member to contact him. Then he will explain.

**Shri Muhammed Elias:** I am not talking about that. I want to ask a question about another thing.

**Mr. Deputy-Speaker:** He can ask that when he goes to see the hon. Minister.

**Shri Muhammed Elias:** I want to know whether the DVC Act will be amended and the DVC will be re-organised or not. That is my question.

**Hafiz Mohammad Ibrahim:** I told one thing, through you, to the hon. Member. Not only that question, but anything which we want to say or to speak on, about the DVC or anything, I am prepared to hear him, have a talk with him, hear his ideas and consider them.

**Mr. Deputy-Speaker:** Am I desired to put any cut motions to vote separately?

**Hon. Members:** No.

**Mr. Deputy-Speaker:** So, I shall put all the cut motions to vote.

*The cut motions were put and negatived.*

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in

[Mr. Dy. Speaker]

the fourth column of the Order Paper be granted to the President to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 64, 65, 66, 127 and 128 relating to the Ministry of Irrigation and Power."

*The motion was adopted.*

[The motions for Demands for Grants adopted by the House are reproduced below—Ed.].

**DEMAND NO. 64—MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER**

"That a sum not exceeding Rs. 22,03,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in respect of 'Ministry of Irrigation and Power'."

**DEMAND NO. 65—MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES**

"That a sum not exceeding Rs. 1,49,87,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in respect of 'Multi-purpose River Schemes'."

**DEMAND NO. 66—MISCELLANEOUS DEPARTMENTS AND OTHER EXPENDITURE UNDER THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER**

"That a sum not exceeding Rs. 2,28,73,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in

respect of 'Miscellaneous Departments and Other Expenditure under the Ministry of Irrigation and Power'."

**DEMAND NO. 127—CAPITAL OUTLAY ON MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES**

"That a sum not exceeding Rs. 3,06,85,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in respect of 'Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes'."

**DEMAND NO. 128—OTHER CAPITAL OUTLAY OF MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER**

"That a sum not exceeding Rs. 11,26,75,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in respect of 'Other Capital Outlay of the Ministry of Irrigation and Power'."

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**

**Mr. Deputy-Speaker:** We shall now take up the Demands for Grants relating to the Ministry of External Affairs.

**DEMAND NO. 16—TRIBAL AREAS**

**Mr. Deputy-Speaker:** Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 9,87,33,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in respect of 'Tribal Areas'."